

In a letter to the Hon'ble Railway Minister I complained and suggested if a confidential investigation be conducted to find out this as a result of corrupt practice or abuse of authority. As a result, in investigation was taken started by Railway Vigilance but what action has been taken?

12.34 hrs.

CONSTITUTION (FORTY-SEVENTH AMENDMENT) BILL

MR. SPEAKER: Now, we shall take up the Constitution (Forty Seventh Amendment) Bill. Originally the Business Advisory Committee allotted eight hours for this Bill. This being a small Bill, on re-consideration the time has been reduced to four hours. Three hours will be for general discussion, half-an-hour for clauses and half-an-hour for final reading.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Sir, this is a very small Bill which puts Delhi in the category of those Union Territory which have got legislative assemblies.

This is a short Bill of great consequence. It seeks to amend Article 239A of the Constitution to bring Delhi within the purview of that article so as to confer power on Parliament to legislate for the creation of a Legislative Assembly and Council of Ministers for the Union Territory of Delhi. For a long time . . .

PROF. P. G. MAVALANKAR: Mr. Speaker, Sir, I am on a point of order. The House is discussing a Constitution Amendment Bill and the time is only

half past twelve. I would therefore request you that we should ensure that there is a duly constituted House whenever we start discussion on the Constitution Amendment Bill. The Constitution requires that the House must be duly constituted at all times, and I say, particularly, at a time when the Constitution Amendment Bill is discussed. I see that it is not duly constituted.

MR. SPEAKER: You are making submission under what provision? Are you raising the question of quorum?

PROF. P. G. MAVALANKAR: That is what I am saying in different words.

MR. SPEAKER: Why do you say in different words? Quorum is required for all Bills.

PROF. P. G. MAVALANKAR: All the more so for Constitution Amendment Bills. That will mean that Members who are absent will come. It will be helpful to the Minister of Parliamentary Affairs to ensure Members' presence in the House for voting. Otherwise they will not come here and the business will collapse. It is therefore in their interest as well that we must ensure that the House is duly constituted, which means, that there should be quorum.

MR. SPEAKER: Let the quorum bell be run . . .

Yes. Now there is quorum. Let the hon. Minister continue.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Mr. Speaker, Sir, your predecessor Shri Mavalankar as well as Sardar Hukam Singh had advised the Government to bring forward a Bill to amend art. 100 of the Constitution with regard to quorum, so as to enable Parliament to make rules with regard to quorum. But that has not been done at all. I would request you to advise the Government with regard to this point, and it would be salutary advice, Sir.

PROF. P. G. MAVALANKAR: They will not have the courage to do it . . .

SHRI HARI VISHNU KAMATH: They will not have the guts to do it. Won't you kindly advise the Government in the matter?

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you please continue. Now there is quorum.

SHRI S. D. PATIL: Sir, as I was saying, this is a short Bill of great consequence. It seeks to amend Article 239A of the Constitution to bring Delhi within the purview of that Article so as to confer power on Parliament to legislate for the creation of a Legislative Assembly and Council of Ministers for the Union Territory of Delhi. For a long time (the thinking in the Government had been that Delhi being the national capital, it was essential that there should be no weakening of the authority of the Parliament and the Central Government over Delhi. It was this view that prevented the creation of an Assembly and Council of Ministers for Delhi so far. Demands have been made for grant of full Statehood to Delhi. It is proposed to provide for the constitution of an Assembly and a Council of Ministers in Delhi on the pattern obtaining in Arunachal Pradesh, Goa, Daman and Diu, Mizoram and Pondicherry. This will be done through the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 1979, which will be moved in this House after this Bill is passed by both the Houses of Parliament and receives the assent of the President.

Sir, the proposed arrangement, while meeting the demand for an Assembly and Council of Ministers for Delhi, will, at the same time, retain for Parliament and the Central Government overall control in regard to the national capital.

I am sure that all Members of the House will be unanimous in their support to this Bill. With these words, I commend this Bill to this House.

MR. SPEAKER: Motion moved:

'That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.'

PROF. P. G. MAVALANKAR: Let him explain how they will retain the control.

SHRI S. D. PATIL: There will be a separate Bill. This is only an amending Bill.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Unless we have a clear picture in our mind as to what they intend to do, what we can say?

MR. SPEAKER: When the Bill comes you will know.

SHRI S. D. PATIL: A separate Bill will come up for discussion. This is only for the purpose of amendment which is necessitated by the Constitution.

SHR P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Sir, as I have said, it would be better if the Minister tells us how he going to do it so that we may get some idea about it. I do not know why he is bringing this Bill for the consideration of the House. Anyway I may point out that the administration here in Delhi is deplorable. Every day there are two deaths occurring due to fatal accident. The vehicles in Delhi are not caring for signals and there is no police protection given to the Delhi citizens. In North Avenue and other very important places—even in M.P.s. houses—thefts take place and there is no protection given to the public in Delhi. Therefore, I say that the administration in Delhi is deplorable.

With regard to housing problems, it is most acute because there is a scarcity in housing accommodation. The D.D.A. is no capable of building houses to meet the demands and it is also not permitting others to build houses. There are about 610 colonies which have not been regularised so far and they are clamouring for regularisation. The Government is not taking any step in solving the housing problem.

Now, there is always a danger of flood recurring. There was a tornado and there was a lot of devastation,

both life and property in Delhi electricity is falling every day and milk producers are not satisfied because their milk is not taken by the dairy. There are so many other problems which are not solved. I do not know why the administration is like this. I would like to know from the hon. Minister if there is an Assembly for Delhi, then are they going to consider all these problems and solve them immediately. Therefore, we want to hear from the hon. Minister what is in his mind, is it for giving democratic rights to all these people, etc. If we take the capitals of other countries, we find that there are no assemblies in those capitals. Anyway, if he wants to extend democratic rights to Delhi we are not opposing it. But in dangerous moments, how the Central Government can control the situation and other things may be explained by the Minister. He may bring forward the legislation afterwards. But it is better if he can open his mind and say something about these things.

श्री विजय कुमार महोत्रा (वर्धमान दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है यह बहुत ही मुबारक कदम है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली की इस समय 50 लाख जनसंख्या की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह बिल इस समय पेश किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया और कलकत्ते से यहाँ राजधानी का ट्रांसफर किया गया। 1912 में जो दिल्ली की तहसील थी उसके आसपास के कुछ इलाकों से मिला कर एक चीफ कमिश्नर की यहाँ पर हुकूमत कायम की गई। 1912 के ले कर 1951 तक यह जो इम्पीरियल सट अप था यह दिल्ली में चलता रहा, और 1951 में एक "सी" क्लास स्टेट दिल्ली में बनायी गयी जिसको जवाब पावर नहीं थी। उसके बाद 1956 के अन्दर स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन के अन्दर उस असेम्बली को भी तोड़ दिया

गया और उसकी जगह पर दिल्ली में एक कोरपोरेशन बना दी। स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन ने जो बात कही थी कि दिल्ली की यूनिफाई अथोरिटी बनायी जाय उसके मुताबिक 1958 में कोरपोरेशन को बनाया गया। पर कोरपोरेशन बनने के बाद भी दिल्ली में और बहुत सी दूसरी अथोरिटी काम करती रहीं। उसके बाद 1966 में दिल्ली में मैट्रोपालिटन काउन्सिल बनायी गयी और उसका काउन्सिल को भी बहुत थोड़े अधिकार दिए गए, उसके अधिकारों में कमी रही।

इस समय स्थिति यह है कि आर्टिकल 239(1) के अन्तर्गत दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन को प्रेसीडेंसी ऐडमिनिस्टर करता है थू ऐडमिनिस्ट्रेटर। और इस समय दिल्ली में मैट्रोपालिटन काउन्सिल के इलेक्शन होने के बावजूद भी दिल्ली की पोजीशन यह है कि लेजिस्लेटिव असेम्बली जो है वह पार्लियामेंट है। दिल्ली की ऐडमिनिस्ट्रेटिव अथोरिटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट है। और उस नाते से दिल्ली के जो चुने हुये लोग हैं, उनके हाथ में किसी तरह की कोई पावर इस समय नहीं है। इसलिए यह बहुत जरूरी था कि कांस्टीट्यूशन की धारा को अमेंड किया जाए और दिल्ली को स्टेट असेम्बली दी जाये। और दिल्ली की स्टेट असेम्बली को जो पावर आज नहीं है, वह दी जाये। बहुत वाजिव सवाल किया या गया था कि इस कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के अन्दर क्या चीज होनी चाहिये। चाहिए तो यह था कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाये, दिल्ली को फुलफ्लैज्ड असेम्बली दी जाये और पूरी बायेंडिक्टरी हों इसको सब जानते हैं।

आप देखिये कि यहाँ पर जो बाकी स्टेट्स हैं, उनके मुकाबले में दिल्ली की क्या पोजीशन है? हिमाचल का टोटल पापुलेशन 34 लाख है, मणिपुर का 10.4 है और त्रिपुरा का 15 लाख है 1971 की

[श्री विजय कमार महाशय]

संसद के मुताबिक और दिल्ली की पापुलेशन 40 लाख से ऊपर थी। इस तरह से हिमाचल का बजट 90 करोड़, मणिपुर का 34 करोड़ और त्रिपुरा का 39 करोड़ जम्मू-काश्मीर का 161 करोड़ और दिल्ली का बजट 1976-77 का 214 करोड़ उस समय था। इन सब बातों को देखें तो दिल्ली बजट, पापुलेशन और रिसोर्सिज के प्वाइंट आफ व्यू से पूरे राज्य का दर्जा लेने की अधिकारी बैठती है।

दिल्ली के अन्दर जो रिसोर्सिज मोबिलाइजेशन है, उसके मुताबिक जो दिल्ली को बजट मिलता है वह और तो निम्नोसंज दिल्ली के हैं, अगर दिल्ली को पूरे स्टेट का दर्जा दे दें तो उसे कम-से कम 100 करोड़ ज्यादा होता। बाकी सारी दुनिया भर में स्टेट कैपिटल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है, स्टेट कैपिटल पर सारे देश का बहुत बड़ा बजट होता है। स्टेट कैपिटल पर उनकी रिसोर्सिज में बढ़कर खर्चा किया जाता है। दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जो कि स्टेट कैपिटल होने के बावजूद यहां पर जितने रिसोर्सिज दिल्ली में निकलते हैं और फोइनेंस कमीशन का जो हिसाब बैठता है, उससे भी 100 करोड़ रुपए दिल्ली में कम खर्च किया जाता है, यह गड़ी भारी बदकिस्मती है दिल्ली वालों की।

चार तरह की पावर्स हैं, जो कि होनी चाहिये। सबसे पहले तो यह है कि जो भी बजट बनाया गया था, वह यूनिफाइड अथॉरिटी के लिए बनाया जाना चाहिये था। पर दिल्ली में यह अग्युमेंट दिया जाता है कि यहां पर स्टेट कैपिटल भी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपिटल होगी तो एक जगह दो कैपिटल होना या दो अथॉरिटी होना ठीक नहीं। आज तो यहां बोरिंसिंग अथॉरिटी है दो का सवाल ही नहीं है। आज डी.डी.ए. अलग अथॉरिटी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अलग है, दिल्ली मिल्क स्कीम अलग है, बहुत सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस; सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है,

बहुत से हास्पिटल्स अलग चलते हैं। यहां पर कोई यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है। इसलिए यह कहना कि दो अथॉरिटीज कैसे हो सकती हैं, इसके कोई मायने नहीं हैं।

कई बार इस बात को उठाया जाता है कि वाशिगटन फेडरल गवर्नमेंट के अन्दर आता है और उसका कोई राइट नहीं होता है। यह बड़ा मिसनौमर है। वाशिगटन को राइट न देनेकी वजह यह नहीं है कि वह स्टेट कैपिटल है इसलिये नहीं दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो वहां ब्लैक लोग है, उनकी पापुलेशन 80 प्रतिशत है और वहां की व्हाइट गवर्नमेंट उनको पावर नहीं देना चाहती है। इसलिये उन्होंने यह तरीका निकाल रखा है। अगर आप देखें आस्ट्रेलिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है और कनाडा में भी फेडरल गवर्नमेंट जैसे हिन्दुस्तान में है। कनाडा की राजधानी ओटावा में है और आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। दोनों स्टेट कैपिटल के अन्दर कोई डिफरेंस नहीं है जो वहां की बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स में है, उनके मुकाबले में और उन दोनों का एक्पीरियेंस हमारे मामले में है। बुनियर भर में जहां फेडरल गवर्नमेंट है वहां यूनिटी फार्म, एक गवर्नमेंट है वहां पर बिनाय एक स्टेट के और कोई है ही नहीं। जहां फेडरल गवर्नमेंट है, वहां आज आस्ट्रेलिया और कनाडा में दोनों में पूरे राज्य का दर्जा भी है और उनको वहां पर यह चीज मुन्सहया की गई है।

यहां हमारे मिनिस्टर महाव ने कहा कि पूरे राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिये। वह दिल्ली में भी गोआ और पांडिचरी असैम्बली की तरह को असैम्बली देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो असली मकसद है सबह यह होना चाहिये कि हमारी स्प्रोच क्या है? अगर तो एप्रोच यह है कि इलैक्ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में ताकत हो, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में न हो, तब तो शकड उसपर ज्यादा असर न पड़े? इस समय पोलीशन यह है कि यहां पर ला एन्ड अथॉरिटी पर, स्टेट सब्जेक्ट्स पर, दूसरे लेंड, बिलिडिंग्स

पर श्रीर ट्रांसफर सर्वैजक्ट्स पर सबके ऊपर दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटर एप्वाइंट किया जाता है और उसको पूरी पावर्स हैं, वह चाहे जो कर सकता है। इलैक्टड रिप्रेजेन्टेटिव्स के हाथ में कोई पावर नहीं है। इमरलिये पहली बात यह है कि इलैक्टड रिप्रेजेन्टेटिव्स के हाथ में पावर्स देनी चाहियें, न कि ब्यूरो-क्रेसी के हाथ में। मैं समझता हूँ कि हाउस में ऐसा कोई बर्ग नहीं होगा जो इम प्रिन्सिपल को एक्सेप्ट न करता हो।

जहां तक फिनांशल पावर्स का संबंध है, आज सब फिनांशल पावर्स गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज के पास है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई फिनांशल पावर नहीं है। मिस्थ प्लान बन गया, बजट बन गया, लेकिन बजट बनने के बाद सारी पावर्स सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के पास हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि हम ने दिल्ली का बजट पास कर दिया और यहाँ पर सभपर पार्लियामेंट की आखिरी मोहर लग गई, लेकिन दिल्ली मेंट्रोपालिटन कौन्सिल अब डिसकम कर रही है उस बजट को, जिसमें वह एक पैस का भी हेर-फेर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसपर पार्लियामेंट की मोहर लग गई है।

मान लीजिए कि बजट में हमने किसी ग्राइड को रख दिया, तो उसके लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब मिनिस्ट्रीज में जायेंगे, मिनिस्ट्रीज उसको एप्लव कर देगी, फिर प्लानिंग कमीशन एप्लव देगा और फिर स्कीम सैंशन होगी। उसके बाद वे लोग स्टाफ के लिए काम शुरू करेंगे। वे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के पास जायेंगे कि हमें स्टाफ चाहिए। उसको मिनिस्ट्रीज क्लीयर करेगी और फिर प्लानिंग कमीशन क्लीयर करेगा। इन बातों का नतीजा यह होता है कि साल के आखिर में करोड़ों रुपये लैप्स हो जाते हैं बिना उनके

कुसूर के, ब्यूरोक्रेसी और रैंड-टेपिज्म की बजह से।

जहां तक लैजिस्लेटिव पावर्स का संबंध है, मेट्रोपालिटन कौन्सिल को लैजिस्लेशन की कोई पावर नहीं है। उसने लगभग पचास बिल पास किये होंगे, लेकिन उनमें से दो तीन के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को नहीं देखा है। उदाहरण के लिए वे एन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अपने रिजोसिज बढ़ायें, और उसके लिए 1958 में बने हुए टर्मिनल टैक्स के शिड्यूल को चेंज करें। उन्होंने बीसियों बार लिखा, लेकिन पार्लियामेंट के पास उसको कनसिडर करने के लिए टाइम नहीं है। उन्होंने सोचा कि सरकारी जमीन पर होने वाले एनक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए ला बनाया जाये, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

उनके पास लैजिस्लेशन की कोई पावर नहीं है। जो लैजिस्लेशन उन्होंने युनेनिक्स तौर पर बनाया, जिसके समर्थन में सब पार्टियाँ—कांग्रेस (आई), कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी—थीं; उसको कनसिडर करने के लिए भी यहाँ कोई टाइम नहीं दिया जाता है, या उसको माना नहीं जाता है। मिनिस्ट्रीज के छोटे छोटे आफिसर्स उसको रोक कर बैठ जाते हैं।

जहां तक सर्विसिज का सम्बन्ध है; इलैक्टड रिप्रेजेन्टेटिव्स को किसी का सी०आर० लिखने का अधिकार नहीं है। जब वे आफिसर्स की सी०आर० नहीं लिख सकते हैं, तो आफिसर्स की सारी लायस्टी एडमिनिस्ट्रेटर के प्रति होती है, इलैक्टड रिप्रेजेन्टेटिव्स के प्रति नहीं होती है। इलैक्टड रिप्रेजेन्टेटिव्स किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सारी पावर्स एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रखी गई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नामिनी है। जो व्यक्ति

[श्री गिजय कुमार महोत्रा]

व्यूरोक्रेसी का अंग है, सर्विसिज की सारी पाबजं उसके हाथ में हैं। इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्स का सर्विसिज पर कोई कंट्रोल नहीं है, ला एण्ड आर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं है, एग० बी० एम० सी० के एरिया पर कोई कंट्रोल नहीं है।

बाकी बातों के बारे में भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर और उन में कोई डिफरेंस आफ ओपीनियन हो जाये, तो वह मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आयेगा और उस बीच में वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर की चलेगी। हालत इतनी खराब है कि उसकी वजह से बहुत फस्टेशन है।

यह कहा गया है कि ये सारी खामियां बिना एसेम्बली बनाये हुए दूर नहीं हो सकती हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो एसेम्बली बनाई जाएगी, उसकी पाबजं क्या क्या होंगी। यह एग्रेस दिया जाना चाहिए कि एसेम्बली बनने के बाद दिल्ली में एक यूनिफाइड सेट-अप होगा, यहां की बीसियों एथारिटीज खत्म हो जायगी और दिल्ली में एक ऐसी एसेम्बली बनेगी, लोग जिसको जाकर पकड़ सकते हैं। मेरे दोस्त ने बिल्कुल वुस्त कहा है जब ला एंड आर्डर खराब होता है, चोरी-डकैतियां होती हैं, तो कहा जाता है कि उसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आयेगी। एनेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कोई बवाल उसमें नहीं है। उनके लिए वह रिजर्व सवजेक्ट है। वे उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के सामने यह पोजीशन क्लीयर होनी चाहिए कि इन्टेशन यह है कि यूनिफाइड एथारिटी दिल्ली में बनाई जायगी, भलग भलग एथारिटी नहीं रहेगी। दूसरा यह है कि जो फाइनेंसियल पाबर्स हैं दिल्ली की वह उनको ही जायेंगी और जो छोटी छोटी आर्थों के लिए उनको वहां सब जगह

जाना पड़ता है वह नहीं रहेगा। सर्विसिज पर उनका कंट्रोल रहेगा और जो लेजिस्लेटिव पाबर्स हैं वह भी उनको ही जायेंगी। आज तो यूनियन टेरिटरी में सिर्फ इतना है कि किसी दूसरी स्टेट का कोई ऐक्ट यहां दिल्ली में लागू करने के लिये वह सिफारिश कर सकते हैं और वह सिफारिश जब तक करते हैं तब तक वहां ला चेंज हो जाय तो यहां का ला भी अपने आप खत्म हो गया। यह जो सारी एनामलीज हैं और दिल्ली में जो इतनी सारी प्राबलम्स चल रही हैं उनको देखते हुए मैं यह कहूंगा कि वह बहुत अच्छा ऐक्ट लाने की कोशिश की है। ज्यादा अच्छा होता कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाता पर अगर पूरे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और स्टेट एसेम्बली अगर दे रहे हैं तो भी जो हमारी इन्टेशन और अप्रोच है वह क्लीयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आफिशियल्स हैं, व्यूरोक्रेसी है उन्होंने अपना अपना एम्पायर बना कर रखा है। अगर वह अपनी एम्पायर न छोड़ना चाहें और उसके अन्दर फिर अपनी रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखें तो कोई भी काम नहीं होगा। एक बार गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपनी टास्क फोर्स बनाई थी और उसको कहा था कि क्या दिल्ली में करना चाहिए वह बताएं। उन्होंने अपनी सब रेकमेंडेशंस की परन्तु उसमें इतनी कंडीशंस लगा दीं कि उन सारी अपनी कंडीशंस की वजह से एक पता तक वहां नहीं हिलता। क्लास थी का आफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ कर वहां के एग्जिक्यूटिव कौंसिलर और चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिलर की सारी सिफारिशों को महीनों तक रोक कर बैठ जाता है और वहां पर हालत इस तरह से डिफिकल्ट होती है। तो मैं यह कहूंगा कि इस अप्रोच को वह क्लीयर कर दें और इसके बाद यह कांस्टीट्यूशन अमेंड होने के फौरन बाद इसी सेशन के अन्दर दिल्ली की एसेम्बली

का जो बिल है और जो यूनिवर्सल टेरिटरी के बिल में प्रमोडमेंट बहू करना चाहते हैं उसको भी लाने का बहू एम्प्योरेंस दें ताकि इसी सेशन के बाद दिल्ली के लाखों लोगों की जो ऐम्पिरेंस हैं उनको पूरा करने के लिए एक नया डांचा बनाया जाय।

श्री हरि विष्णु कामत : आपका सन् 52 में जो सेट था

श्री विजय कुमार महोदय : वह तो सी क्लास प्रेम्बली थी, उसको कोई पावर नहीं थी।

13 hrs.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष रखा है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। विजय कुमार जी ने 1912 से दिल्ली की कहानी बताई। स्वतन्त्रता के बाद और विशेषतः इस संविधान के बनने के बाद दिल्ली केन्द्रीय नेताओं के एक एक्सपेरिमेंट की जगह रही है। 1952 में यह पार्ट सी स्टेट प्रेम्बली थी। मेरे पीछे बहू प्रकाश जी बैठे हैं, वह उसके चीफ मिनिस्टर थे और मैं भी उसका सदस्य रहा हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट बहू किया गया। उसमें कुछ देना, कुछ रखना, इस तरह से हाफ हाटेंड मेजर किया क्योंकि दिल्ली के लोग और दिल्ली के राजनैतिक बल इस मामले में एक मत हैं कि दिल्ली के अन्दर पुरे तौर पर पूरी प्रेम्बली मिलनी चाहिए, पर केन्द्रीय नेताओं ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। यहां पर अगर प्रधान मंत्री लिबरल हुए तो थोड़ी सी चीज उसको दे दी और जरा सब्त विभाग के हुए तो वह भी वापस ले ली। परिणाम यह हुआ कि जब रिआर्गनाइजेशन कमीशन बना तो उसने यह रिक्मेंडेशन किया कि दिल्ली में किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल यहां पर कारपोरेशन होना चाहिए।

(अध्यक्ष) तुमला वाशिंगटन से करिए, टोकियो से करिए,

इससे करिए, उससे करिए, मैं उस पुराने तरीके से सोचने वालों में से नहीं हूँ कि वाशिंगटन में इसलिए यहां ऐसा ही होना चाहिए, टोकियो में है इसलिए यहां ऐसा ही होना चाहिए। हमारे देश की परिस्थिति बाकी देशों से अलग है। हमारे देश की हालत अलग है। हम कोई नई चीज भी पैदा कर सकते हैं जो दूसरे देशों में नहीं है। हम केवल उस लीक के ऊपर ही चलाएं यह कोई ठीक बात नहीं होगी। तो रिआर्गनाइजेशन कमीशन ने यह कहा कि यहां पर कारपोरेशन ही होगा और 1957 के बाद यहां पर कारपोरेशन रहा, प्रेम्बली खत्म हो गई क्योंकि उस समय के जो नेता थे वह चाहते थे कि यहां प्रेम्बली नहीं रहनी चाहिए। फिर एक मोड़ दिल्ली ने लिया, दिल्ली में आन्दोलन हुआ कि दिल्ली वालों को दिल्ली का भाग्य बनाने का अधिकार होना चाहिए। फिर यहां पर इंटेरिम मेट्रोपोलिटन कांसिल बनाई गई। उसके बाद मेट्रोपोलिटन कांसिल के चुनाव हुए। मेट्रोपोलिटन कांसिल क्या है? यह केवल एक टाकिंग बाडी है, केवल एक डिबेटिंग सोसाइटी है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे अपने खयाल से कुछ लोगों को मेम्बर बना दिया, कुछ को मोटर दे दी, उसके अलावा कोई पावर नहीं है। अगर ट्रांसफर के मामले में भी ले० गवर्नर डिफर करे तो केन्द्र में जो क्लर्क बैठा है वह उसका फंसला करेगा। एक चपरासी का भी ट्रांसफर वहां नहीं किया जा सकता है। अभी यहां हमने दिल्ली का बजट पास कर दिया है लेकिन दिल्ली को जो मेट्रोपोलिटन कांसिल है वह बजट डिस्कस कर रही है। बेवकूफी की भी कोई हद होती है, जिसने भी यह प्राविजन बनाया वह एक हाइट आफ फाली थी। बजट पास करती है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया लेकिन अब दो महीने बाद मेट्रोपोलिटन कांसिल बजट पर बहस कर रही है हालांकि वह न तो उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है और न

[श्री कंबर लाल गुप्ता]

कोई रेकमेंडेशन दे सकती है। इस तरह का जो यह समाशा है वह दिल्ली वालों के साथ केन्द्र वाले करते हैं। मैं समझता हूँ उस समय जो सरकार थी, उसमें जो लोग थे उनके बस्टेड इन्ट्रस्ट्स थे। मान लीजिए यहाँ पर कोई केन्द्रीय मंत्री है लेकिन दिल्ली में उसको कोई पूछता नहीं, कोई उसके पास जाता नहीं, बात नहीं करता, फिर वह क्या करे? जब तक दिल्ली उसके अंगूठे के नीचे न हो जाय, उसको तसल्ली नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर दिल्ली के लिए एक अर्गुमेन्ट दिया जाता है कि अगर पूरी असेम्बली दे दी तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। हमारे सिकन्दर बख्त साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वे पहले कारपोरेशन के मेम्बर थे, उसके बाद मेट्रोपोलिटन काउंसिल के मेम्बर रहे और अब केन्द्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। आज कैबिनेट मिनिस्टर है तो ठीक है लेकिन कल चीफ मिनिस्टर बन जायें।

He is very irresponsible. Now he is a very responsible Cabinet Minister. When there is an Assembly, suppose he is the Chief Minister, he is very irresponsible!

यह एक अजीब कहानी है। वही व्यक्ति जब यहाँ पर मंत्री बन जाए तो रेस्पॉसिबल है लेकिन अगर वह दिल्ली की बागडोर संभाल ले तो इररेस्पॉसिबल हो गया। यह एक पॉलिटिकल कालोनियल आउटलुक है।

इसलिए मेरा कहना है कि दिल्ली के लोगों की समस्याएं इस तरह से दूर नहीं हो सकती हैं। मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता, आप कुछ दे रहे हैं तो अच्छा है, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ लेकिन इससे दिल्ली की समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं। आज दिल्ली में अगर रेफ्लेक्शन कराया जाए तो सारे के सारे लोग इस राय के होंगे कि यहाँ पर पूरी असेम्बली होनी चाहिए। मैं नहीं समझता अगर पूरी असेम्बली

बन जाती है तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? आप यह एक्सपेरिमेंट भी करके देख लीजिए। पांच साल के बाद नयी सरकार आयेगी। आज मोरारजी भाई लिबरल हैं उन्होंने थोड़ा ज्यादा दे दिया। मोरारजी भाई कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इससे ज्यादा जो मांग है, वह भी दे दी जाए। लेकिन अपनी भी कोई पूछ होनी चाहिए। . . . (व्यवधान) पूछ और पूछ दोनों ही रहनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में एक्सपेरिमेंट का तरीका खत्म होना चाहिए। दिल्ली की जो पूरी असेम्बली की मांग है, वह सरकार को मंजूर करनी चाहिए क्योंकि दिल्ली एक वायर्णल यूनिट है फाइनेन्शियल एण्ड इबिन अडरव.इज। दिल्ली से करीब 90 करोड़ रुपये सैल्स टैक्स का आता है एक साल में, प्रोनली फ्राम सैल्स टैक्स।

If I am wrong, I may be corrected. अब दूसरी तरफ क्या है। त्रिपुरा में असेम्बली है, फुलप्लेज्ड असेम्बली है और मनीपुर में भी है, नागालैंड में है और हिमाचल प्रदेश में है। . . . (व्यवधान) . . . गोआ में नहीं है। त्रिपुरा की क्या पापूलेशन है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि त्रिपुरा की टोटल पापूलेशन कितनी है, नागालैंड की टोटल पापूलेशन कितनी है, पांच लाख या चार लाख। पांच लाख के लिए आप पूरी असेम्बली देंगे। त्रिपुरा की कुल पापूलेशन 7, 8 लाख होगी जो दिल्ली में एक पार्लियामेन्टरी सीट के बराबर है। हिमाचल प्रदेश को पूरी असेम्बली देंगे लेकिन क्या इसका कोई मापदंड है?

Is there a yardstick, a measuring rod?

जिसके ऊपर आप तोल कर यह कहेंगे कि इस बेसिस पर असेम्बली देनी चाहिए और इससे फलां को देंगे और इसको नहीं देंगे। There is no measuring rod, there is only a rod.

केन्द्रीय सरकार की सीट का मतलब यह नहीं होता है कि यहाँ के लोगों के

हक हैं, वे मार दिए जाएं। आपने अपने विधान में सेंटर को कुछ पावर्स दी हैं, स्टेट्स को कुछ पावर्स दी हैं और कुछ पावर्स कान-क्रेट लिस्ट में हैं, जिससे शासन ठीक चल सके। मैं यूनियन टेरिटरी के ग्राइडिये के ही खिलाफ हूँ। 1950 में जो स्थिति थी, उस समय हमारे आदरणीय कामत जी भी कांस्टीट्यूट एसेम्बली में थे, उसको देखते हुए यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थीं, और आर्टिकल 239 से 241 तक, इन तीन आर्टिकल्स में यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात रखी गई और उनके अनुसार यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। उस समय देश आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद हर एक इलाके की कुछ अलग अलग समस्याएं थीं और शायद उस समय यह आवश्यक भी थी कि यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएं और सेंटर के नीचे उन को रखते। कई तरह का ढांचा देश के लिए रखना जरूरी था लेकिन आज 32 साल बीत जाने के बाद और जब देश एक है, क्या इस को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? आप यह देखिये कि 8 और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और उन के ऊपर आप कितना खर्च करते हैं। इन 8, 9 के ऊपर क्या टोटल बजट है? मुझे याद है कि लक्षद्वीप जब मैं गया था, तो मैं ने देखा कि वहां की सारी पापुलेशन 30, 35 हजार है और per capita expenditure comes to Rs. 10,000 to Rs. 12,000 per year.

अब इस तरीके से 8, 9 यूनियन टेरिटरीज का आप बजट मिलाएं तो 600 करोड़ रुपये के करीब आता है और उन की आमदनी क्या है, यह आप देख लीजिए। क्या इस को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? क्या इस के बारे में सांस्टीफिक स्टडी नहीं होनी चाहिए कि 32 साल के बाद भी आप 600, 700 करोड़ रुपया कितनी पापुलेशन पर खर्च करते हैं। मुश्किल से 20 लाख या 25 लाख पापुलेशन के ऊपर आप इतना खर्च करते हैं और बाकी पापुलेशन के ऊपर उसका 100वां हिस्सा भी खर्च नहीं करते। आखिर में

इस को रिव्यू करने की जरूरत है। लक्षद्वीप में 30 हजार की सारी पापुलेशन है। वहां सेक्रेटरी लोकल सेल्स गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी फॉइनेंस है, सेक्रेटरी हाउसिंग है। जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज वहां पर है या स्टेट में हैं सभी के सेक्रेटरी वहां पर हैं। ब्योरोक्रेसी का पूरा पैराफर्नलिया लक्षद्वीप में है। यही हालत अण्डमान में है और दूसरी यूनियन टेरिटरीज में है। बजट का जो पैसा इन के लिए रखा जाता है उसका 70-80 परसेंट पैसा केवल तौकरियों पर खर्च हो जाता है। क्या इस सब को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है?

मैं यह मामला हूँ कि हमारे देश में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, वह बहुत बड़ा प्रदेश है, मैं समझता हूँ कि करीब करीब इंग्लैंड के जितना बड़ा होगा; इस प्रदेश की चार स्टेट्स होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी चीफ मिनिस्टर को यह नहीं मालूम होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट का कौन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट है। जब इतना बड़ा प्रदेश एक राज्य होगा तो वहां कैसे प्रोग्रेस हो सकती है।

(Interruptions). It has to be divided. Yes, I agree. I know Himachal Pradesh, Punjab and Haryana were one. I come from Haryana. What was the position of Haryana?

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा गांव है, वहां पीने का पानी नहीं मिलता था। हम झोंड़ में से पानी पिया करते थे। आज हम बंसीलाल को बेशक क्वांटिटाईज करते हैं लेकिन हरयाणा की प्रोग्रेस करने में उसका हाथ है और जो चीफ मिनिस्टर वहां बने उन्होंने भी हरयाणा के लिए बहुत कुछ किया है। आज हरयाणा का स्थान देश को अनाज देने में पंजाब के बाद दूसरा स्थान है? इसी तरह से हिमाचल प्रदेश ने भी ट्रिमण्डस प्रोग्रेस की। आज हिमाचल प्रदेश का सेव सारी कन्ट्री में आ रहा है। उसने ट्रेडिशनल सेव पैदा करने वाले राज्यों को पीछे हटा दिया है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि एक स्टेट एम्पायर नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि छोटी-छोटी स्टेट होनी चाहिए। स्टेट इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसकी एक या दो करोड़ या इससे कुछ ज्यादा ही पापुलेशन हो। हाँ इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसकी फाइनेंशियल वायेब्लिटी हो और दूसरी चीजें हों। लेकिन यह चीज होनी चाहिए। जहाँ मैं यह बात मानता हूँ वहाँ मैं यह भी मानता हूँ कि यह काम किसी एक पार्टी का काम नहीं है। जब तक इस के लिए नेशनल कांसेसनेस न हो तब तक यह काम संभव नहीं और ना ही उचित ही है। सब पार्टियों की एक राय होनी चाहिए। आज इस के लिए वातावरण नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आज इस बात को लेकर कोई पण्डारा खोल दिया जाए और लड़ाई भगड़े शुरू हो जाएँ जिससे कि देश का काम खत्म हो जाए। हाँ जब कभी शांति हो और एक-दूसरे को समझाने-बुझाने से सारी पार्टियाँ यह तय कर दें तो इसे जरूर करना चाहिए। अगर देश को प्रगति करनी है इस चीज पर जरूर विचार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, यूनियन टैरिटरी की जो कल्पना है वह भी बदली जानी चाहिए। दिल्ली को कल को एक्सपेण्ड करना है। हमारे यहाँ वर्क्स हाउसिंग मिनिस्टर बैठे हैं जो दिल्ली के हैं। इनकी कांस्टीट्यून्सी का सारा एरिया स्लम है। मेरी कांस्टीट्यून्सी का भी आधा एरिया स्लम है। सरसूणिया भी यहाँ नहीं है। उनकी कांस्टीट्यून्सी का आधा एरिया स्लम है। दिल्ली के पास गांव नहीं है। अब स्लम एरियाज को अच्छी बस्तियों में ले जाना होगा। उसके लिए कुछ जगहें हमारे पास होनी चाहिए। मास्टर प्लान में कहा था कि आपसपास के राज्यों ५० पी०, पंजाब और हरयाणा में नजदीक बस्तियाँ बसायेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के लिए एक फुल फ्लैण्ड

असैम्बली हो और दिल्ली के आस पास जो बीस तीस मील का एरिया है उसको आप दिल्ली के साथ जोड़ें। सोनीपत तक आ जाए, रोहतक तक आ जाए और इधर मेरठ और उधर फरीदाबाद वगैरह सब आना चाहिये। इससे दिल्ली के एक्स्पेंशन के लिए स्कोप बन सकेगा और यहाँ जो गन्दी बस्तियाँ हैं उन के लोगो को वहाँ जाकर बसाया जा सकेगा। खुली जगह जाकर बें रहेंगे। इस तरह की कोई चीज होनी चाहिये। इस तरह की कोई डिनामिक चीज मैं एक्सपैक्ट आप से करता था। इधर उधर कुछ दिया जाए इससे काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली फाइनेशली वायेबल है इसके आंकड़े आपने दिए हैं। पापुलेशन के लिहाज से तथा दूसरी तरह से दिल्ली वायेबल है।

आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि यूनियन टैरिटरीज पर बजट कितना खर्च होता है और कितनी पापुलेशन पर वह खर्च होता है। साथ ही क्या पार्लियामेंट के पास लोगों की जो समस्यायें हैं उनको साल्व करने का समय है। जब हम दिल्ली के बारे में स्पीकर साहब के पास आते हैं और उन से मांग करते हैं कि ला एंड आर्डर पर बहस होनी चाहिये, हाउसिंग प्राबलम पर बहस होनी चाहिये तो समय मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या दिल्ली की कोई असैम्बली है? दिल्ली की असैम्बली नहीं है तो दिल्ली के लोग कहाँ जाएँ? गोआ की भी इसी तरह से प्राबलम है और दूसरी यूनियन टैरिटरीज की भी है। आप लोगों के पास जो समय नहीं है और इसका नतीजा यह होता है कि केवल ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर रूल करती है। वह जो उसकी मर्जी में आता है करती है। इस चीज को रिब्यू करने की जरूरत है। जो कंसिंट है यूनियन टैरिटरीज का इसको बैज करने की जरूरत है। 32 साल हो गए हैं आज तक यह चीज नहीं हुई है। यह भी मैं कहता हूँ कि यह केवल एक पार्टी का था इस सरकार की

काम नहीं है। इधरके लोगों से भी मैं कहूंगा कि कोई नैशनल कंसैसस डिबेलेप करके रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिये। गोआ दमन और दीव की भी समस्या है जिस की तरफ प्रधानमंत्री जीने ध्यान दिलाया था। गोआ से दमन और दीव कितनी दूर हैं। गोआ की पूछ भी नहीं बनती है। आर० टी० सी० (राउंड टेबल कान्फेंस) या किसी भी तरह से नैशनल कंसैसस डिबेलेप करके कोई रास्ता निकालें ताकि लोगों की जो पोलिटिकल एक्वीरेंस हैं उनको पूरा किया जा सके। पैच वर्क जो आप करते हैं काम चलने वाला नहीं है। इस वक्त चूँकि मंत्री मद्दोदय ने एक प्राप्रेसिव कदम उठाया है और पहले से कुछ आगे गए हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और इस चीज का पूरा समर्थन करता हूँ लेकिन यह जो एकसपैरिमेंट आप करने जा रहे हैं दिल्ली असैम्बली का इससे आप कन्विस हो जाए कि जो कुछ दिल्ली के लोग चाहते हैं, यहां से 55 लाख लोग चाहते हैं, जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सारी पार्टियां चाहती हैं कि उनको पूरे अधिकार मिलें, पूरी असैम्बली मिले तो उनकी उन भावनाओं को भी आप पूरा करने की कोशिश करें। यह चीज शायद आपके दिमाग में किसी वक्त आ जाए और आप उसको पूरी असैम्बली दें, इसी आशा के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ

GENTILE MARIANO FALEIRO (Mormugao): This debate will show that Members sitting on opposite sides of the House can, on certain issues, reach an agreement, and they can agree in substance on issues. I fully endorse many of the submissions and statements made by my hon. friend on the other side, Shri Kanwar Lal Gupta, on this particular matter, and Mr. Malhotra also.

More than 30 years ago, the people of this country gave unto themselves a Constitution which provided for self-government. They threw out colonial rule and decided that they were fit enough to rule themselves. But even then, there were some small

pockets which, for reasons of area, population and particularly for historical reasons, and in some areas economic backwardness, were not given at that time all the full rights of self-government, and were then designated as Part 'C' States (if I am not mistaken. In 1956, the States were re-organised and even then again, this problem arose that there are some pockets which for some reason or other, particularly historical and economic reasons, require further economic development, they would have been in an inferior position, they might have been discriminated against if at that stage they had merged in a larger unit. For this reason, they were kept aside until a certain level of development was attained. Again, they were denied at that time, at that level, full rights of self-government and they were kept as Union territories. At that time the States Reorganisation Commission had thought that these units should develop economically and that the Central Government should give maximum aid to them and ultimately, my impression is that, the Commission said that they should be merged—not constituted as separate States—in the neighbouring units, in the existing States. But it so happened that Union territory after Union territory went on opposing merger, demanding statehood and the popular opinion was so strong that it was conceded in most of the cases and as such we are having States which were Union territories like Manipur, Tripura and so on. The point, to my mind, is not whether these Union territories should be merged in the neighbouring States or should be granted full-fledged statehood. There are arguments for and against the granting of statehood, there are arguments for and against small States. Mr. Kanwar Lal Gupta has made a very strong case for small States. He has pointed out how a big State like Punjab, when divided into three, viz., Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, could develop much more than when it was one unit. All the three units, once they were constituted as

[Shri Eduardo Faleiro]

separate units, developed much faster than when they were all together.

A case has also been made for the division of UP. It has not been made today for the first time, it has been made by no less a person than Mr. Charan Singh, the Deputy Prime Minister and in fact, when he was Chief Minister, he said that UP is so large—he was a very capable administrator any yet he said—that he could not administer it.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Mr. Panicker of S.R.C. also said that,

SHRI EDUARDO FALEIRO: My senior and respected veteran colleague Mr. Kamath says that Mr. Panicker, a Member of the States Reorganisation Commission, was also of that opinion. The Prime Minister, for instance, has been of the view, not now, he has always been of the view, for that matter, many of the senior leaders of my party have been of the view, that the small States are not viable and that in a federation, the States should be more or less of the same size, otherwise, some States will dominate over the others and the small States will be at a disadvantage. Whatever may be the argument for or against the small States, for or against the merger of the Union territories with the neighbouring States, one point has to be made clear, on one point, a consensus has to be reached. The people of Union territories are denied full rights of self-Government. Even if there are legislative Assemblies of the type we have created now, as there is in Goa, in Arunachal Pradesh, in Pondicherry, even then they do not compare with the Legislative Assemblies in a State. Why? That is because the State Assemblies have full powers to make any law on the subjects in the State List and as far as the Union territories are concerned, there is no such absolute exclusive power. Even in the matters of State List, Parliament can make laws and to that extent, the law made by the Legislature of the Union territory is over-ruled or

over-ridden. So, with or without Legislative Assembly, they are always in an inferior position, in a position, in a position of tutelage.

People in those areas are in this sense, which is a very substantial sense, second class citizens. I know that the expression will hurt, but it is substantially true that the colonial situation to a large extent operates as far as the Union territories are concerned. The paternity of the Central Government operates to a large extent as it operated under the colonial Government, of course, not to the same extent, far from that. But still there is a strong tinge, a strong paternalistic touch as far as the Central Government is concerned in relation to the Union territories. You see, how this difference operates. A few days ago, the President's Rule was imposed in Goa. How was it imposed? By an order of the President. Is the order to be discussed by Parliament or to be sanctioned by Parliament? Not at all. How is the administration to be carried under the President's rule? By the President that means, by the bureaucrats alone, without any sanction either by Parliament or Member of Parliament. What would have been the position if the President's rule had been imposed in a State. It would not have been imposed under Section 51 of the Government of Union territories Act. It would have been imposed under Article 356 of the Constitution. What does it provide? It provides that the President's rule cannot, *suo motu*, on its own force, operate for more than two months that the Government must come with a proclamation before the House and, within two months, get the proclamation approved by the Parliament; full debate would be there; the Parliament would be in its right to say, "We are not approving it" and then it will be rejected and the President's Rule would not operate.

Then, if the President's Rule is imposed in a State, an Advisory Committee would be constituted consisting of Members of Parliament to advise

and to look into the administration of the State during the President's Rule. Some sort of a representative authority would be there. What happens in Goa? It is managed precisely as a colony would have been managed. That is an unfortunate situation. Therefore, I say, with or without Assembly, the position of having Union Territories and the States should not continue. I would say that these Assemblies are merely a camouflage or a smoke-screen to deny equality to the citizens of Union Territories as compared to the citizens of the States.

I am not objecting to this Bill which has come before the House to give a Legislative Assembly to Delhi. But I must place on record my feelings that this Assembly is coming only because the party in power is the same as it is the party at the Centre and they have been able to convince the Central Government in this regard. Why I am making this unpleasant remark is, when there is a consensus, because I want to draw the attention of the House to the plight of Union Territories, like, Lakshwadeep, Andaman & Nicobar Islands, etc. where even panchayats are not there. There is no representative government at any level. They are ruled by the Home Ministry. It is in this context, I say, when there are areas like this, you are giving an Assembly to Delhi—I am not saying, it should be denied—which should have come last because it is the centre of the Government of India. Parliament is sitting here. Delhi had its Legislative Assembly. For reasons which were thought to be good at that time—I do not see how they could become bad now—it was felt that a Legislative Assembly and this type of Government should not continue for Delhi and for the reason that it is the centre of the Central Government, there should not be two Governments operating within the same area.

Again, I make it clear, if that is the will of the people of Delhi, let it be done. I am not opposed to it. What I am saying is that similar will is there

in other Union Territories also and something must be done urgently and immediately by this Government, as far as the Union Territories, like, Lakshadweep, Andaman & Nicobar Islands, etc. are concerned.

The point that I want to submit is that you abolish all the Union Territories. In my own part of the country, in Goa, there is a strong move against merger and all political parties have been opposing merger, including a very strong political party which has been in power for 15 years, the MGP which came on the platform of merger of Goa with Maharashtra. Even they have given up merger and they also say, "We are for Statehood". This is the will of the people there. Merger or no merger, either of this is much better than continuing the present scheme of Union Territories. Whether they should be merged with larger States or not, it is comparatively a secondary issue compared to the primary issue that all citizens in this country must be given same rights and they must be given equal rights to govern themselves. None of them should be considered immature, that they are illiterate, that they have no sufficient political education to govern themselves. That was also the substance of the colonial rule which after more than 30 years of freedom we are not entitled to continue for any part of the country, for any person in this country.

I will not repeat the arguments which have already been made. I listened attentively to the speech of Shri Kanwar Lal Gupta. Previous speeches must have also been on the same lines. I want to say one thing more. It is said that these Union Territories are not financially viable. The statistics do show that per capita grant-in-aid given to several States is more than the grant-in-aid that would have been given to a Union Territory like Goa. I would mention not only small States, like, Nagaland and Tripura but even established States, like Orissa and Jammu and Kashmir. Their grant-in-aid is more than what

[Shri Hari Vishnu Kamath]

would have been required in the case of Goa and possibly other Union Territories. There is no reason to continue with the scheme. This is a scheme which takes the country back. Where all are equal, all are equally entitled to the same type of Government and to the same rights.

Only one last thing, and I will end. The last thing is that, to stop the imbalance between small States and big States, I will just make a suggestion. In the Rajya Sabha, representation for all States, whether big or small, should be the same. In the Lok Sabha there is always a disparity but, in the Rajya Sabha, they should have some sort of parity: whether it is Delhi or whether it is Uttar Pradesh, the representation should be the same. I think there are precedents for this in several other Constitutions like the United States Constitution.

On this basis, my plea would be that, if necessary, a new States Reorganisation Commission should be appointed to look into the whole problem and, in particular, that of abolishing this concept of States and Union Territories.

श्रीधरः ब्रह्म प्रकाश (बाह्य दिल्ली) :
उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट ने जो कास्टीट्यूशन एमेंडमेंट पेश किया है, उनके लिए मैं उमको मुबारकबाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह कोई बहुत नया, कोई बहुत अच्छा काम गवर्नमेन्ट नहीं करने जा रही है। मेरी राय थी—और आज भी है—कि दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स, दिल्ली के लोगों को एक फुलफ्लेज्ड स्टेट के अलावा कोई और चीज माननी ही नहीं चाहिए थी। न मिले कुछ दिन और। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के तरह तरह के ये जितने एक्सपेरिमेंट्स, तुजुबों, हैं, वे फ़ेल हो चुके हैं।

जो पहले पार्ट सी स्टेट थी, इस एमेंडमेंट के बाद तकरीबन उससे मिलती-जुलती ताकत कुछ कम या कुछ ज्यादा; उससे कुछ फर्क

नहीं पड़ता है—दिल्ली एसेम्बली की होगी। उस वक्त का जामाना भी कुछ अलग था। अगर दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ काम कर पाये, तो उसकी वजह यह थी कि उस वक्त की लीडरशिप कुछ दूसरी तरह की थी, काम करने के ढंग कुछ दूसरी तरह के थे। काम चल जाता था। लेकिन इस वक्त जो कमजोरियाँ हैं, उन की वजह से काम नहीं चल सकता है।

बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रिव पावरज या फ़िनांशल पावरज, जो कि बेसिक पावर है, सोवियरिटी में वेस्ट करती है, और यूनियन टैरिटरी होने के नाने यहां पर सविरेन्टी पार्लियामेंट में वेस्ट करती है—वह दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स में वेस्ट नहीं करती है। यूनियन टैरिटरीज के प्राविजन के मातहत यहां एसेम्बली बन जाने में दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं आयेगा, क्योंकि यहां पर मूणिकलात है, मन्टीग्लिमिटी आफ एथारिटीज, डे-टु-डे मामलों में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का दखल और-राजमरा की एडमिनिस्ट्रेशन और फ़िनांशल मामलों में ब्यूरोक्रैसी का पूरी तरह से जम कर रहना। इस लिए जब सॉवियरेन्टी ही वहां नहीं है, ता जैसी कि श्री फैनीरो ने कहा है—उन्होंने ठीक कहा है—, यहां के लोगों की एक तरह से सैकंड ग्रेड सिटिजनशिप है। वैसे मैं इस हक में नहीं हूँ कि हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में इस तरह की सैकंड ग्रेड सिटिजनशिप रहे, ये यूनियन टैरिटरीज रहे। यूनियन टैरिटरीज का प्राविजन गलत है, वह नहीं होना चाहिए था, और इसको जितनी जल्दी हटा दिया जाये, उतना ही अच्छा होगा।

यूनियन टैरिटरीज बनने की कहानी शायद आपको मालूम है। मुझे पता नहीं था। मैंने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की स्टैट्स मिनिस्ट्री के एक सिनियर आफ़िसर से पूछा था। उस वक्त पार्ट ए और पार्ट बी स्टैट्स थीं और यूनियन टैरिटरीज को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया। जब यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेन्ट थी, तो ये यूनियन टैरिटरीज एक तरह से सैट्रल गवर्नमेन्ट के मातहत थीं और

ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इम्पीरियलिस्ट विज्ञान के मुताबिक उन्हें जान-बूझ कर अपने बाघ टावरों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था। आप पुरानी फ़ाइलें उठाकर देखिये, आपको उनमें इस तरह के शब्द मिलेंगे। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत मजबूत रहे, इसके लिए उन्होंने दिल्ली, अजमेर जैसी हिन्दुस्तान की कुछ जगहों को इस तरह से रखा हुआ था, ताकि वे पूरे हिन्दुस्तान पर कंट्रोल रख सकें और उसकी सुपरविजन कर सकें। अब जब वह ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई तो यूनियन टैरिटरी बन गई और कास्टीच्यूशन में उसकी एक नई शकल दे दी गई।

मैं इस राय का हूँ कि यह यूनियन टैरि-टरी का प्राविजन कास्टीच्यूशन से हटा दिया जाय और जितने भी यूनियन टैरिटरीज में सब्ज ग़बन वाले एन्लाइटेन्ड लोग हैं, कामत माहब जैसे थिंक्स हैं वे इस बात की कोशिश करे कि यह प्राविजन हमारे इस कास्टीच्यूशन में नहीं रहना चाहिए। इस वास्ते मैं किसी भी हद तक इस बात में सहमत नहीं हूँ कि यह मुबारकबाद का कदम है या कोई खुशी का कदम है बल्कि यह है एक जंजीर जिसमें जग लग गया था उसकी जगह दूसरी जंजीर थोड़ा मुलम्मा करके दिल्ली को पहना दी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।

हिन्दुस्तान में जब आजादी नहीं थी तब भी दिल्ली की हुकूमत का ढंग और तरीका मैंने देखा था। आज मुझे उमसे बिगड़ा हुआ नजर आता है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का आदमी किसी तरह से भी आजाद है। वह इस तरह की गुलामी में फ़सा हुआ है, उसकी गुलामी की बँध शुरु होती है प्राइम मिनिस्टर के दफ़्तर से और चली जाती है वी डी ओ के दफ़्तर तक। कहीं भी उसका छुटकारा नहीं है। जैसे तो विल आयेगा उस पर बहस होगी, उसके प्राविजन्स पर बहस होगी लेकिन जिस तरह का बिल है

वह तो सामने आ ही चुका है। लेकिन उस विल में जो यूनिफ़ाइड एथारिटी का सबाल है वह उसमें पूरा नहीं होता। जो हालत अभी है वह खत्म नहीं होती। इसलिए यह किसी तरह से भी लोगों को कोई मदद नहीं दे सकेगा हा, अभी तो मैम्बर हैं वह मैट्रोपालिटन कौन्सिल के मैम्बर कहलाते हैं, इसके बाद वह एम एल ए कहलाने लग जाएंगे और जो एग्जीक्यूटिव कौन्सिलर्स हैं वह मिनिस्टर कहलाने लग जाएंगे। इतना ही फर्क उसके अन्दर पडने वाला है। तो इससे दिल्ली के लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है।

श्री हरि बिष्णु कामत : पावर्स ज्यों की त्यो रहेगी ?

श्रीधरी ब्रह्म प्रकाश : हा, पावर में कोई फर्क नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ममझने की कोशिश की, गवर्नमेंट आफ इंडिया के अफमरो के साथ और मिनिस्टर के साथ भी बैठकर बात की और पहला भी मेरा तजर्वा है, मैंने उसको रन भी किया है, मैं जानता हूँ कि किस तरह बात अटक जाती है, कहां जाकर बात रुक जाती है लेकिन उन दिनों तो कुछ ऐसे रोशन-दिमाग लोग होते थे जिनको जरा समझा कर जल्दी मना लेते थे लेकिन आज तो दूसरी हालत है, आज ही देख लीजिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं हैं हमारा जवाब देने के लिए और पाटिल साहब के जबाब से मुझे तो आज तक भी तसल्ली नहीं हुई और आगे भी नहीं होने वाली है। तो मैं कैसे मान लूँ जब कैबिनेट मिनिस्टर को इस इम्पार्टेंट बिल पर इतनी फुसंत नहीं है कि वह जिम्मेदारी के साथ हम तो सबाल उठाते हैं उनका जबाब दे सकें, तो हमको सेकेंड रेट दर्जा तो दे दिया गया। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के साथ हमेशा किसी तरह की भी गवर्नमेंट यहा रही, सेंट्रल गवर्नमेंट कान्ग्रेस की रही चाहे आज जनता की है, दिल्ली के ऊपर कोई

की आदमी रहम करने के लिए तैयार नहीं हैं और मैं दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमेशा यह कहता हूँ कि मेहरबानी करके जब तक इसके लिए आप लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं।

मुझे एक बात याद आती है। मैं कोई बहुत एजीटेटर टाइप का आदमी नहीं हूँ और कोई मैं बहुत एजीटेशन की बात नहीं कहता हूँ क्योंकि कहने से कोई एजीटेशन हो भी नहीं जाता है, लेकिन यहाँ उस वक्त होम मिनिस्टर थे डा० काटजू, मैं उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि कि आप जरा दिल्ली को अच्छा दर्जा दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि किनकी आवाज है यह तो आप कह रहे हैं? मैंने कहा दिल्ली वालों की। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों की आवाज दिल्ली वाले देख नहीं रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वह देख नहीं रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है? यह दिल्ली वालों की आवाज आप आकर कहते हैं, मुझको तो दीख नहीं रही है कि यह दिल्ली वालों की आवाज है। तो मैंने यह समझा कि दरखास्त करने से कोई हुकूमत कुछ नहीं देती है और जल्दी-जल्दी मन लेने में कोई नहीं देता है। लेकिन दिल्ली के लोग शायद अभी इस हद तक नहीं पहुँचे हैं कि वह शक्ति को ले सकें।

श्री हरि बिष्णु कामत : आपकी आवाज तो बुलन्द है।

श्रीधरी ब्रह्म प्रकाश : एक मेरी आवाज बुलन्द होने से क्या बनता है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो इन वक्त टैरिटरी है उसकी तीन बातें आई हैं—एक तो यह कि जो मीबूवा टैरिटरी

है उसको फुलफुल्लेज्ड स्टेट की जाय और मैं यह कहूँगा कि अगर नई दिल्ली से आपको बहुत ज्यादा मुहब्बत है, वह बहुत रॉशन बन गई है, तो उसको आप भ्रमण रख लीजिए अगर उससे आपको तसल्ली होती है क्योंकि यह जो बात कही जाती है कि दिल्ली राजधानी है और राजधानी में यह नहीं होता है, तो दुनिया में दो तरह की हुकूमतें हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी स्टडी किया है, एक है फेडरल स्ट्रक्चर और दूसरा है यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिट की हुकूमत क्या होनी चाहिए, फेडरल की क्या होनी चाहिए। इसमें मिवाय आस्ट्रेलिया को और अमेरिका को छोड़कर, वाशिंगटन और कैनबरा को छोड़कर कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो या अदगनाइज्ड हमारे कंट्री हों, वहाँ पर जो सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रेशन है हर एक टेरिटरी के लिए वह एक ही है। कोई भी सेकेन्ड क्लास सिटिजन्स नहीं है। वाशिंगटन और कैनबरा का जहाँ तक संबंध है, वाशिंगटन में डिस्ट्रिक्ट काटकर अलग कैपिटल बनाया गया। उसकी वजह यह है कि वहाँ नियो प्राबलम थी और आज भी है। यह एडमिनिस्ट्रेशन की प्राबलम थी। अभी तक वहाँ पर एजीटेशन चल रहा है। दूसरी तरफ कैनबरा में भी डिस्ट्रिक्ट काटकर अलग से कैपिटल बनाया गया। (व्यवधान) मास्को में भी पांच स्टेट्स के कैपिटल है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि अगर एक स्टेट में दो कैपिटल हो जायेंगे तो क्या हो जायेगा? लेकिन एक फाइल है जो कि ब्रिटिश डेज से चली आ रही है। (व्यवधान) सवाल यह है कि अगर आप इस हक में हैं कि नई दिल्ली को काट लिया जाय, उसको भ्रमण रखा जाय तो आप उसको भ्रमण रख लीजिए लेकिन जो बाकी दिल्ली है उसको आप फुलफुल्लेज्ड असेम्बली दे दीजिए। इस मौके पर मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि आप हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यू०पी० की एक बड़ी स्टेट बना दीजिए। दिल्ली को स्टेटहूड मिल जाए तो हम आपसे

में बात करके तय कर लेंगे कि क्या होना चाहिए ।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सिकन्दर बख्त साहब यहां पर इन बातें नहीं हैं, दिल्ली की प्लानिंग के बारे में जो चर्चा चलती है मिनिस्ट्री कि तरफ से इतनी अजीब है कि मेरी समझ में नहीं आता कि जिस रफ्तार से यहां पर पापुलेशन बढ़ रही है वह कहां पर बसेगी ? दिल्ली का जो मास्टर प्लान है—मैंने काफी डिटेल् में मास्टर प्लान की स्टडी की है—अगर आप यूनियन टेरिटरी की सारी जमीन भी एकवायर कर लें तो भी वह सन् 2000 से ज्यादा नहीं चल सकती है । फिर उसके बाद आप कहां जायेंगे ? कौन सी जमीन आप लेंगे ? जो मास्टर प्लान पहले बना था उसमें तय था कि अर्बनाइजेशन को एक लिमिट रहेगी, उसके बाद कोई और जमीन एकवायर नहीं की जायेगी, इसलिए नहीं कि दिल्ली के गांवों पर कोई मेहरबानी या बल्लिक इसलिए कि जो एक कन्सेप्ट है मास्टर प्लानिंग का वह सारे वर्ल्ड में चेन्ज हो चुका है कि कन्ट्रोल्ड अर्बन सिटी नहीं चलना चाहिए बल्कि बीच में रूरल एरिया आए और फिर सिटी आना चाहिए । एक सेंट्रल कैपिटल रीजन मास्टर प्लानर्स ने तय किया था कि 80 माइल्स के रेडियस से 4,500 स्क्वायर माइल्स का रकबा होगा इस सेंट्रल कैपिटल रीजन को एक यूनिट बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया गया था लेकिन आप उस कन्सेप्ट को ही छोड़ रहे हैं । एक तरह से आप मास्टर प्लानिंग को ही स्कैप कर रहे हैं । इसलिए मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि सन् 2000 साल के बाद यूनियन टेरिटरी में दिल्ली के लिए एक इंच भी जमीन रहने के लिए नहीं मिलेगी अगर पार्लियामेंट या जिसकी भी यह जिम्मेदारी है उसने इसका कोई हल नहीं निकाला तो ।

मास्टर प्लान के बारे में बोलने के लिए बाद में मौका मिलेगा, तो मैं उस वक़्त बोलूंगा

श्री हरि विष्णु कामत : क्या दूसरा मास्टर प्लान बन रहा है ?

श्रीधर ब्रह्म प्रकाश : आर्डर दे दिया गया है मास्टर प्लान बनाने का क्योंकि पहला मास्टर प्लान 1981 तक के लिए था और 1981 के बाद दूसरा मास्टर प्लान आना चाहिए । जो इन्फ्रिन्जमेंट्स मास्टर प्लान की की गई हैं इमरजेंसी के दिनों में ही नहीं बल्कि उससे पहले और आज भी जो की जा रही हैं, उन्हें देख कर मुझे बहुत दुःख होता है कि दिल्ली के साथ क्यों इतनी ज्यादाती की जा रही है । इस वास्ते मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी के प्रोवीजन्स को खरन किया जाए और दिल्ली को एक फुनफ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया जाए । मैं तो यह कहूंगा कि जो दिल्ली स्टेट आज की है, या तो उसी हैसियत से या जो सेंट्रल कैपिटल रीजन दिल्ली का है, उसको बढ़ाया जाए लेकिन मैं उसके लिए इस वक़्त ज्यादा इन्सिस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरी स्टेट्स जो दिल्ली के साथ लगी हुई हैं, वे यह समझे कि हम से जबर्दस्ती कोई जमीन लेना चाहता है पर मैं आपके जरिये से पार्लियामेंट के मेम्बरों से यह अपील जरूर करूंगा कि वे इस बात को सोचे कि किस तरह की फूचर दिल्ली जो है, उसका नक्शा होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ जो एमेंडमेंट बिल है, उन को मैं दिल से तो सपोर्ट नहीं कर सकता, उसमें जो एमेंडमेंट आप करना चाहते हैं, कर ले लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि दिल्ली को पूरी स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा और जब तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, दिल्ली के लोग इस के लिए कोशिश करते रहेंगे और मौका मिला तो लड़ाई भी इसके लिए करेंगे ।

श्री किशोर लाल (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे से पूर्व बक्तारों से

[श्री किशोरी बरार]

बहुत सी बातें कही हैं। आज इस बीसवीं सदी में इस पार्लियामेंट में जिसमें बहुत इन्टेलिक्चुअल लोग, बहुत से रेबोल्यूशनरी लोग आए हुए हैं, उनके दिल व दिमाग से जो बात निकली है, वह मेरी समझ में नहीं आती। वे जो पुरानी बैकग्राउण्ड है, जो उस के एक्सपीरियन्सेज है जो उनके सामने उनकी जिन्दगी में हुए हैं, उनसे सबक क्यों नहीं लेते।

यह दिल्ली एक ऐसा बदनसीब शहर है एक तरीके से और दूसरे तरीके से इस की मिट्टी ऐसी है कि दिल्ली के लोग हमेशा खुशामद ही करते आए हैं। आप भी आन्ध्र से आए और जितने भी लोग यहां दिल्ली में मिनिस्टर बन कर आते हैं, उन सब को मालाएं पहनानी पड़ती हैं। क्या करते इस के सिवाय? दिल्ली की अपनी कोई पर्सनेलिटी नहीं है और दिन व दिन उसकी पर्सनेलिटी खत्म होती चली जा रही है। आप यह देखें कि दिल्ली को, हमारे एक साथी यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने 1950 में हम को संबिधान दिया, पार्ट सी स्टेट बनाया। सन् 1950 में यह सोचा और 1952 में लागू हुआ और उसके बाद यु० पी० से हमारे स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत जी आए और उन्होंने यह कहा कि क्या सोचा कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने। जो उन्होंने सोचा, उससे ज्यादा अच्छा वे सोचते हैं और उन्होंने दिल्ली एसेम्बली को खत्म करने की बात सोची। उन्होंने यह सोचा कि इसको म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दे देनी चाहिए। यहां पर जबब बते हुए उन्होंने म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के बारे में यह कहा था कि मैं ऐसी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन बना रहा हूं जो बुनिया में एक भजूबा होगी और वह एसेम्बली को रिप्लेस कर देगी। यह रिकार्ड पट है। तो एसेम्बली खत्म हो गई और म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने एसेम्बली

की जगह ले ली। इस तरह से सन् 1958 में एसेम्बली घा गई, सन् 1950 से लेकर 1958 तक पूरे आठ साल के बाद। फिर किसी के किसी कोने में दर्द उठा। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कार्पोरेशन तो सिविक बोडी है और वहां जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, उनमें कुछ चुने लोगों का दखल होना चाहिए, दखल रहता नहीं है लेकिन कम से कम बातचीत में तो दखल हो जाए इस तरह से पूरे 8 साल के बाद सन् 1966 में इन्टरिम मेट्रोपोलीटन कौंसिल बना दी गई। यह तजुर्बा तीसरा था, पहला 1950 वाला, फिर 1958 वाला और फिर 1966 वाला। फिर 1966 या 1967 में जिस वक्त इसने काम शुरू किया, तो वह जो 8, 9 साल वाला दौरा था, वह फिर आया और यह 1977 में आया। पहली पार्टी अगर शासन में रहती, तो यह कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट न आता लेकिन दूसरी पार्टी शासन में आ गई और फिर वही 9-10 साल वाली साइकिल का चलना शुरू हुआ। बल गाड़ी की स्पीड से चलते चलते 1979 में यह कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल आया है और यह यूनियन टैरीटरी के नाम से। हमारे बुजुर्ग साहेबान यहां बैठे हुए हैं, पता नहीं उनके दिमाग में यूनियन टैरीटरी का क्या मतलब था। जो मैं समझ पाया हूं वह यह समझ पाया हूं कि उस वक्त यूनियन टैरीटरी उस क्षेत्र को बनाया जाता था जहां पर कि पोलिटिकल प्रोब्लमस होती थीं और जहां के लिए यह समझा जाता था कि शायद छोटी स्टेट होने पर वह स्टेट उन प्रोब्लमस को हंडिल करने के काबिल नहीं होगी। जैसे कि नागालैण्ड है और दूसरी यूनियन टैरीटरीज हैं। इसलिए वहां सेन्सल की हुकूमत रखी जाती थी ताकि वह स्टेट उन प्रोब्लमस की वजह से कमजोर न हो पाये। यह सब की बात नहीं है, यह उस वक्त की बात है। उस वक्त, मेरी समझ में, यूनियन टैरीटरी बनाने का यह एकसद था। मगर मेरी समझ में नहीं आया कि दिल्ली को क्यों यूनियन टैरीटरी बनाया

गया ? दिल्ली तो हमेशा से सबमिसिव रहा है। यहां के लोगों ने तो कभी एजीटेशन की बात नहीं की। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा शरीफ लोग बसते हैं। फिर क्यों दिल्ली को यूनियन टैरीटरी बनाया गया ? मैं समझता हूँ कि—जैसी की चौधरी साहब ने भविष्यवाणी की है—आज से दस साल के बाद फिर दिल्ली के बाँचे के बारे में विचार होगा और उस से अगले दस सालों के बाद, सन् 2000 तक फिर से दिल्ली की इच्छाओं के मुताबिक आपको यहां का सर्वे करना होगा।

हमने लिग्विस्टिक स्टेट्स बनायी थीं लेकिन आज लिग्विस्टिक स्टेट की जगह आज हम ने सोचना शुरू कर दिया है कि लिग्विस्टिक की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट होनी चाहिए और यह सोचना शुरू कर दिया है कि किस तरह से यू० पी० बिहार और मध्य प्रदेश को डिवाइड करके उनको एडमिनिस्ट्रेटिवल वायबल स्टेट बनाया जाए। अब लिग्विस्टिक स्टेट का विचार खत्म होता जा रहा है।

मुझे मालूम है कि होम मिनिस्ट्री में और गवर्नमेंट आफ इंडिया में ऐसे सोचने वाले लोग बैठे हैं जिनका हिसाब-किताब हमेशा गलत निकला है। 1953 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे का नारा लगाया था। उस वक्त होम मिनिस्ट्री ने यह सोचा था कि अगर पंजाबी सूबा बन गया तो वहाँ सरदारों की हुकूमत हो जाएगी और वह चूँकि बाँहर स्टेट होगी इसलिए मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से तामिलनाडु के बारे में भी सोचा गया था। पंजाबी सूबा बने हुए इतने साल हो गये और तामिलनाडु भी बने हुए इतने साल हो गये लेकिन किसी जगह पर भी कोई ऐसी चीज पैदा नहीं हुई जिससे मुल्क को खतरा हो। मुल्क के लिए कोई एग्जीक्यूटिव आज तक पैदा नहीं हुई।

इस मुल्क के लोग कभी नेशनलिस्ट हैं, नेपोर हैं। इस मुल्क के लोगों की मेम्बेरिटी

1977 के इलेक्शन में साबित हो गयी। उन्होंने बतला दिया कि कुछ भी हो जाए, उनकी डेमोक्रेटिक इंडिस्ट्रक्ट को, नेशनलिज्म की भावना को कितनी भी ताकत से दबाने की कोशिश क्यों न की जाए लेकिन कोई दबा नहीं पायेगा। वह चीज 1977 के इलेक्शन में उछल कर सामने आ गयी।

अब आप यह बिल लाये हैं। इस में यूनियन टैरीटरी रख कर आपका, होम मिनिस्ट्री का दखल तो रहेगा ही क्योंकि अफसर तो अपोइंट कर के आप वहाँ भेजेंगे ही। जो दिल्ली के चुने हुए लोग होंगे, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा, उनको कौन पूछेगा। आज भी आपने ट्रांसफंड सब्जेक्ट वहाँ रखे हुए हैं। मेट्रोपोलिटन काउंसिल के पास, एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में पूरा अधिकार होमा लेकिन उसके पास जो अफसर होंगे एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जो अफसर होंगे उसकी लायल्टी कही और होगी आपने यूनियन टैरीटरी का लफ्ज इसके साथ लगा दिया है। (अवधान) इसको हटाने का सवाल नहीं है कि आप इसे डिक्शनरी से या क्रास्टीडियूशन से हटा दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका जो क्रियेचर होगा लेफ्टीनेट गवर्नर वह तो आपके गवर्नर से भी बड़ा होता है। यहाँ का लेफ्टीनेट गवर्नर एयर इंडिया के किसी महाराजा से कम नहीं होता। आप देखिये कि प्रेजीडेंट के साथ में पुलिस की गाड़ी चलती है। उसी तरह से आपने दिल्ली शहर में देखा होगा कि उसके साथ भी चलती है। जितने भी साइकिलिस्ट्स या गरीब आदमी चल रहे होते हैं, उनको और भी व्हीलर्स को हटाते हुए चलती है। बहुत दफा आर्थों के सामने एक्सीडेंट भी हुए हैं। पायलट एक चीज होती है पायलट गाड़ी दूसरी होती है। दिल्ली में पुलिस को लारी मिले या न मिले, प्राइम मिनिस्टर के साथ तो बोर्डर साइकिलिस्ट चलता है और प्रेजीडेंट

[किशोह लाल]

के साथ भी वही चलता है लेकिन दिल्ली का एक और जो क्रीचर है जिस का नाम लैफ्टिनेंट गवर्नर है उनके साथ पुलिस की लारी चलती है पूरे बन्दोबस्त के साथ। वह ट्रैफिक हो हटाती चलती जाती है, गरीब कोई साइकल पर जा रहा होता है या स्कूटर पर जा रहा होता है, चूकि महाराजा साहब भा रहे होते हैं इस वास्ते उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, सब रास्ता छोड़ देते हैं, और कहीं अगर लाल बत्ती भी होती है, तब भी उनकी गाड़ी नहीं रुकती है। अब आप देखें कि लैफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेट्स क्या है? गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक सैक्रेटरी के बराबर होगा ज्यादा से ज्यादा। पहले ज्वायंट सैक्रेटरी के बराबर होना था, बीच में एडोशनल सैक्रेटरी के बराबर हुआ और अब ज्यादा से ज्यादा सैक्रेटरी के बराबर होगा। अब आप देखें कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के सैक्रेटरी और ज्वायंट सैक्रेटरी सड़कों पर घूमते फिरने रहते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है लेकिन दिल्ली का जो लैफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको सब सहूलियतें मिल जाती हैं, पुलिस प्रॉटेक्शन उसको मिल जाता है, चाहे वह कोई आरिजनल काम करे या न करे। वह महाराजा है उसको कोई पूछ नहीं सकता है इस वास्ते क्योंकि वह अपनी ऑफिसियल होम मिनिस्टर को भेजता है। स्विमिंग या गाल्फ के लिए बोटिंग को जाना होता है। तो सरकारी गाड़ियों में और सरकारी खर्चें पर जाती है। पुलिस की लारी होती है कोई पूछने वाला नहीं होता है। यूनियन टेरिटरियों के नाम से पिछले तीस साल में लोगों को एक रिक्लेशन पैदा हो गया है, मगरत पैदा हो गई है। लैफ्टिनेंट गवर्नर पता नहीं गवर्नर का लैफ्टिनेंट या गवर्नर उसका लैफ्टिनेंट, समझ में नहीं आता है, उसकी जो इंस्टीट्यूशन पैदा हो गई है उसके बारे में भी आपको बिचार करना चाहिये। इस जिल में भी यह लफ्ज मौजूद है। तीस

साल हो गए हैं। अब तो आप दिल्ली वालों पर रहम करे भगवान के नाम पर। गोआ नागालैण्ड को आपने असैम्बली दी है और दिल्ली को भी आप देने जा रहे हैं तो कम से कम यूनियन टेरिटरियों नाम को तो हटा दें और उसकी जगह सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कर दें या कोई और कर दें लेकिन कम से कम यह यूनियन टेरिटरियों का लफ्ज है और उसके साथ यह जो क्रीचर बना रहा है लैफ्टिनेंट गवर्नर जो किसी को आंसरेबल नहीं है किसी को जवाब देह नहीं है यूनियन टेरिटरियों लफ्ज को खत्म करने के साथ साथ इस इंस्टीट्यूशन को भी आप खत्म करें और उसके साथ यह अपने आप खत्म भी हो जाएगी विद वन स्ट्रॉक आफ पन आप यूनियन टेरिटरियों विल लाए है तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यह लफ्ज यूनियन टेरिटरियों भगवान के लिए आप हटा दें, तीस साल हो गए हैं, काफी लोगों ने सरर कर लिया है यह लफ्ज जब खत्म होगा तो जो क्रीचर है इसका वह क्रीचर भी खत्म हो जाएगा।

यूनियन टेरिटरियों के साथ एक और भी प्राबलैम है। सारी हकूमत हमेशा अफमर के जरिये फंक्शन करती है। आप को एक बात सुन कर हैरानी होगी। गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो डिप्टी सैक्रेटरी होता है या अडर सैक्रेटरी होता है, और दिल्ली के अन्दर जो होता है उनमें बहुत फर्क होता है। शायद आप उस फर्क को नहीं समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जितनी कोओपरेटिव सोसाइटीज हैं वे सब सुपरसीडिड हैं। उन सब में अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटर बना कर रख दिया जाता है। बाकी सारे हिन्दुस्तान में उसकी तनख्वाह पंद्रह सौ रुपये महीना होगी तो दिल्ली में उसको पांच सौ रुपये फालतू मिलेंगे और उसके साथ उसको एक गाड़ी भी दे दी जाएगी। एक एक दर्जन को ओपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटी, कोओपरेटिव बैंक आदि जितनी

भी इंस्टीट्यूशन भी सब सुपरसीडिड हैं। भारत भर में जब कोओप्रेटिव सोसाइटीज सुपरसीड होती है तो उन पर पब्लिक मैन की एडमिनिस्ट्रेटर एक्वाइट किया जाता है लेकिन दिल्ली में सभी अफसरों की राल टपकती है और उनको एडमिनिस्ट्रेटर एक्वाइट कर दिया जाता है। लिब्रिया कालेज बोर्ड के मामले को आप ले किसी एजुकेशनिस्ट के बजाय पुलिस के डंडे वाला वहां लगा दिया जाएगा। एग्जिक्यूटिव मार्किटिंग कोओप्रेटिव सोसाइटी या कोई और सोसाइटी जो एग्जिक्यूटिविस्ट के फायदे वाली होगी तो कोई पी० सी० एस० अफसर खुशामद करने वाला वहां एक्वाइट कर दिया जाएगा, जिस को गाड़ी देनी होंगी उसका एक्वाइट कर दिया जाएगा। सब बुराइयां यूनिटन टेरिटरीज के साथ अटैचड हैं। जब तक यूनिटन टेरिटरीज शब्द रहेगा ये बुराइयां भी चलती चली जाएंगी। असेम्बली नाम तो आप दे देगे लेकिन अफसरों का रुख वही रहेगा, वही खुशाबदी रहेगा, वही लायलटी होम मिनिस्टरी के साथ रहेगी, जो उनके मास्टर्स हैं उनके साथ ही होगी तो दिल्ली के लोगों को इससे रिलीफ नहीं मिलेगा।

दूसरा एक जरूरी सवाल और है और वह यह कि जो वर्तमान में दिल्ली की पोजीशन है जब तक इसकी पोलिटिकल वाउन्ड्रीज को बढ़ाया नहीं जायेगा तब तक कि यह वायविल यूनिट नहीं बन सकती। दो लाख की आबादी हर साल यहाँ की बढ़ती है, आन्ध्रा और आसाम से लोग यहाँ बसने के लिये आते हैं।

14 hrs.

एक माननीय सख्त्य : विशाल हरियाणा में मिला दीजिये।

श्री किशोर लाल : आप इसको विशाल हरियाणा में मिला दें या यू० पी० में मिला दें, लेकिन आज हालत यह है कि यू० पी० ने यहाँ पर नीमडा बनाया और हरियाणा ने अपना इंडस्ट्रियल ऐस्टेट फरीदाबाद में बनायी। वहाँ से माल जो पैदा हो कर यहाँ आयेगा उसको टर्मिनल टैक्स देना होगा दिल्ली में

आने के लिये। तो सिवाय चोरी और बेइमानी करने के और कोई रास्ता नहीं है। जो भी टर्मिनल टैक्स देकर कर यहाँ माल बेचने के लिये लायेगा तो दाम बढ़ जायेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं हो सकता जब तक पोलिटिकल कंट्रोल ठीक नहीं होगा। जब पोलिटिकल कंट्रोल गाजियाबाद में और फरीदाबाद में दूसरे का होगा तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उन पर आप का क्या कंट्रोल होगा।

हम लोग तो भले लोग हैं, गृह मंत्री जी को मानाये फूल की पहनाने है, लाल किले में दीवाने ग्राम में विदेशी अतिथियों का सम्मान भी करते हैं फिर हमारे साथ यह ज्यादाती क्यों है। यूनिटन टेरिटरी के साथ फिर एक दूसरा पहलू और है, आप देखेंगे कि एक ही यूनिटन टेरिटरी ऐसी होगी जिसके सभी मास्टर हैं। हमारे यहाँ पंजाब में एक बहालन है, मुझे मालूम नहीं है कि वह पार्लियामेन्टरी होगा कि नहीं कि गरीब की जाँच सब की भाभी होती है। माननीय शेर सिंह जी मुझे माफ करेंगे। उसका मतलब वह है कि यहाँ हमारा एक मास्टर नहीं है, बल्कि जितनी आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी में मिनिस्ट्रीज लिखी हुई हैं वह सब हमारी मास्टर है, और यूनिटन टेरिटरी के बाद भी वह हमारे मास्टर रहने वाले है। तो हमको क्या फायदा होगा। डी० टी० सी० होगी तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हमें मुँह देखना पड़ेगा, सबेरे दूध चाहिये तो माननीय बरनाला साहब को याद करना पड़ेगा क्योंकि डी० एम० एस० और मदर डेरी उनके पास है। बिजली बन्द होगी तो ऐनर्जी मिनिस्टर को याद करना होगा। होम मिनिस्ट्री तो है ही मास्टर फ्राइन्स, एजुकेशन, बक्स हाउसिंग मिनिस्ट्री सब का हमें मुँह देखना होगा। फुर्सत किसी को नहीं है, सोचने का कोई तरीका नहीं है।

पिछले 15 साल से बात चलती रही कि दिल्ली और नई दिल्ली से आने के तीन रास्ते हैं, एक पहाड़गंज से जो कि चलता नहीं,

[श्री श्रीधर लाल]

दूसरा मिटो ब्रिज का और तीसरा हाडिन्ग ब्रिज का। दिल्ली और नई दिल्ली को मिलाने के लिये पिछले साल मास्टर प्लान में प्रोवाइड किया गया कि मौडर्न स्कूल के पास में एक ओवरब्रिज बनाया जाये ताकि सेक्रेटेरियट से लिंक हो जाये। यह बात ऐक्सपर्ट ने कही। लेकिन बदकिस्मती है कि शारे ऐक्सपर्ट्स की राय एक किनारे रख दी गई और पैन के एक स्ट्रोक से फंसला कर दिया गया कि यह जो दिल्ली को नई दिल्ली से मिलाने के लिये पुल बनाने का सवाल है इसकी कोई जरूरत नहीं है। कितना पैसा खर्च हुआ होगा यह तय करने के लिये, कमीशन बैठा होगा, ऐक्सपर्ट्स ने राय मशविरा किया होगा, लेकिन सब बेकार गया। अब अगर यहां पर यूनिजन टेरिटरी रहेगा तो फिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर को कौन ओवर रूल करेगा ?

An Under Secretary of the Government of India writes "The President is pleased to direct the Chief Minister or the Chief Secretary to rule like this.

इसलिये वह प्रोबलम भी वहीं की वहीं रह जाती है। इसका हमें काफी तजुर्बा हो गया। नेशनल कैपिटल रीजन की बात खत्म हो गई।

अब उसके बाद जितनी पोपुलेशन है वह भी हर साल बढ़ रही है, रहने की लोगों को जगह नहीं है। मेरे इलाके में खास तौर पर जहां कि बड़ी-बड़ी रीसेटिलमेंट कोलोनीज हैं वहां लोगों को साढ़े 22 गज नमीन दे रखी है। आप सोच सकते हैं कि साढ़े 22 गज में क्या बन सकता है। फिर भी साढ़े 22 गज में भी इतनी पोपुलेशन वहां पर हो गई। अगर रहने के काबिल उनको 50, 100 गज वहां पर देना होगा तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के पास में जगह वहां पर नहीं है। इसलिये जरूरी हो जाता है कि हम इस तजुर्बे की बात को छोड़ें। पिछले 30 साल

में काफी तजुर्बे हो गये। अगर इस मुल्क को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है तो ग्रांज बन्द कर के बिल्कुल इक्वली इसे 40 हिस्सों में डिवाइड कर दो। देश तो एक है। कुछ नेचुरल वाउन्डरीज की जरूरत नहीं। क्या आफत आ रही है कि एक जगह यह होगी और दूसरी यह होगी। माफ कीजिये यह पोलिटिकल पार्टीज के झगड़े हैं, कुछ पोलिटिकल लोग चाहते हैं कि हमारी एम्पायर यहां तक रहनी चाहिये। चाहे उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम याद हो या न हो, चाहे फाइल पर दस्तख्त करना जानते हों या न जानते हों, उनकी क्या प्राबलम हांगी, इमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको चाहिये यह है कि हमारी एम्पायर यहां तक बननी चाहिये।

दिल्ली में भी एम्पायर काफी मिनिस्ट्रीज की है। उसके बाद में अडोस-पडोस की भी हैं। हमें तो यह दिखाई देता है कि दिल्ली की कोई देखभाल की करने बात आपको समझ में आती नहीं। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह दो बातें करें, हम उनकी सब बातें मान जायेंगे। एक तो वह यूनिजन टेरिटरी का लफ्ज हटा दें। वह इसके बारे में कामत साहब से तरीका पूछ लें कि इसको हटाने का क्या तरीका हो सकता है, कांस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया था। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इस यूनिजन टेरिटरी से हमको नफरत है, इसके नाम से रिएक्शन होता है इसका कोई तरीका निकालकर इसे हटा दें।

अब गोध्रा भी असेम्बली है, नागालैण्ड भी असेम्बली है, एक बेचारे झरीफ लोग हैं चंडीगढ़ के, आपने चंडीगढ़ को भी यूनिजन टेरिटरी बना कर रखा है क्योंकि आपकी पोलिटिकल प्राबलम भी वहां पर। तो पोलिटिकल प्राबलम का हल एडमिनिस्ट्रेटिव जरिये से खोजना, उसको अपने हित में बनाकर रखना यह मुनासिब नहीं है।

मैं सरकार को मुबारकबाद तो देता हूँ कि पहली दफा उन्होंने सोचा है कि कुछ दिया जाये। बात तो ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी भाये उन्होंने लेने की बात की, यह पहली दफा उन्होंने सोचा है कि कुछ दिया जाये। अब इनके अफसर कहां तक इस को अमल करने देंगे, यह अभी तक शक की बात है। इनकी नियत तो साफ है लेकिन जो गवर्नमेंट आफ इंडिया में बैठे हैं, जिन्होंने फाइल चलानी है, उनकी नियत हमेशा यही होगी कि वह ज्यादा से ज्यादा पावर को अपने पास ग्रैत्र करें। इसलिये इसका कोई तरीका बंडक मुल्क में कलैसस बनाकर इसके बारे में साफ कर दिया जाये। अब तो चौधरी चरण सिंह जी ने भी कह दिया कि यू० पी० को डिवाइड कर दिया जाये। सभी लोग कह रहे हैं, वहां के अपोजिशन के लोग भी यही बात कह रहे हैं। मेरा इसमें कहना यह है कि जब सब की राय बन रही है तो चुपके-चुपके क्यों बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को इस मामले में लीड लेकर जितने अपोजिशन के लोग हैं ये उनसे देश में एक लाइवली डिस्कशन हो जाए अब वक्त आ गया है कि लिगुइस्टिक बातां को छोड़कर उससे फनेटिज्म वहां पर बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाकर काम किया जाये जिससे लोगों को ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके। यह ठीक नहीं है कि गरीब आदमियों के नाम पर स्लौगन लगाते रहें और उनकी बात करते रहें किन काम न करें।

इसलिये मैं इस बात में कंजूसी नहीं करना चाहता कि पटेल साहब को मुबारक न दूं उनकी नियत तो साफ दिखाई देती है लेकिन वह इतना यकीन हमको दिला दें कि जो उनकी नियत है, उसको ठीक भावने में अमल में लाया जायेगा। क्योंकि आदमी आते-जाते रहते हैं, वह आज हैं, कल नहीं हो सकते हैं कोई दूसरी सरकार आ जायेगी। इसलिए जो कायदे मौजुद बन रहे हैं इस को कोई

मिस-यूज कर के बांधे हाथ से देना चाहते हैं और बांधे हाथ से लेना चाहते हैं, ऐसा न कर सकें। इसके इन्टरप्रेशन को अफसरों के हाथ में मत छोड़िये उसको क्लीयर कर दीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं इन शब्दों के साथ इस बिल को कंडीशनल सपोर्ट दे रहा हूँ, इसलिये कि नियत तो साफ दिखाई देती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई देता।

इसके जरिये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान बनाने वालों ने जो सन् 1950 में सोचा था, उसमें अब तबदीली होनी चाहिये। इतना ही नहीं कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमट ले आये, पार्लियामेंट की पावर खत्म हो जाय, कुछ देश के लिये ऐसा करें कि जो मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन सही हो सके। पार्लियामेंट के जितने लोग यहां आयेंगे वह अपनी-अपनी बात कहकर चले जायेंगे। मैं कामत साहब मे कहुंगा कि वह माफ करें, आप भी माफ करें, मेरी तो छोटी सी राय है कि यह पार्लियामेंट का फोरम भी मुझे तो यूजलेस सा दिखाई देता है।

श्री हरि बिहारी कामत : यह बहुत यूजफुल भले ही न हो, लेकिन यह यूजफुल नहीं है।

श्री किशोर लाल : मैं यूजलेस का लफज वापस लेता हूँ। यह बहुत यूजफुल नहीं है। यहां पर गरीब आदमी तो पहली कैंजुएल्टी है। यहां पर काफी पीने और गप्प लगाने के सिवाये हम कुछ नहीं करते हैं। यहां पर भाषण अच्छे और मीठे होते हैं, लेकिन मेरी छोटी राय में यहां पर पहली कैंजुएल्टी गरीब आदमी दिखाई देता है। मैंने पिछले दो सालों में यही देखा है।

मुझे दूसरी कैंजुएल्टी दिखाई देती है सच्चाई। यहां पर सिवाये सच्चाई

[श्री किशोर लाल]

के सब कुछ होता है। हम ने होम मिनिस्टर साहब से सवाल किया कि क्या यह सच है कि फलां आदमी पंद्रह साल से इस पोस्ट पर बैठा हुआ है, अगर हाँ, तो क्यों। उस सवाल का जवाब आया : "जी नहीं", और दूसरे हिस्से का जवाब दिया गया "डज नाट एराइज"। हम उसकी तह में गये और हमें मालूम हुआ कि हम से गलती हो गई थी ? मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी एफेयर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारी इत्तिला यह थी कि उस आदमी को उस पोस्ट पर पंद्रह साल हो गये हैं, लेकिन वह सिर्फ चौदह साल से वहाँ पर था। इसी लिए मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया, "नो" और "डज नाट एराइज" पार्लियामेंट में 90 परसेंट सवाल का यही हाल होता है। अफसर साहब जो लिख देते हैं, मिनिस्टर साहब वही पढ़ कर बता देते हैं। हम प्रिविलेज मोशन किस के खिलाफ लायें ? और प्रिविलेज मोशन बनेगा भी कैसे ? वह कहेंगे कि पंद्रह साल नहीं था, चौदह साल था, हम ने सच बोला था।

मेरा कहना यह है कि सवाल का जवाब देते हुए इनटेन्शन नहीं देखी जाती है, सिर्फ उसके वर्डिंग को देखा जाता है, उसकी इन्टरप्रेट किया जाता है। इस हालत में यह पार्लियामेंट लोगों की सेवा का फोरम कैसे बनेगी ? अगले सेशन में यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या यह फेक्ट है कि वह आदमी इस पोस्ट पर चौदह साल से है। लेकिन इस बीच मैं मिनिस्टर साहब को छः महीने मिल जायेंगे और वह अफसर धूम-धम लेगा, और यह चक्कर चलता रहेगा। उसके बाद वह सवाल अनस्टार्टेड क्वेश्चन हो

जायेगा और उस पर कोई सप्लीमेंटरीज नहीं हो सकेंगे।

कांस्टीट्यूशन को बनाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। उनको देख कर मैंने यह बात कही है कि इस फोरम से हमारा कोई परपज हल नहीं होता है। सिर्फ टेकनीकैलिटीज रह गई है। मिनिस्टर साहबान को सवाल का इनटेन्शन नहीं बताया जाता है, बल्कि सिर्फ टेबनीकैलिटीज के हिसाब से देखते हैं कि स्पीकर साहब ने या किसी दूसरे ने वर्डिंग को चेंज कर दिया है। मिनिस्टर साहब को फर्मत नहीं मिलती है, बरबिस उनको मेजर पार्लिसी डिमिजिज लेने है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन पर जो चैक होना चाहिए वह नहीं होता है।

इस बीसवीं सदी में बकी दुनियां कहां से कहां पहुंच गई है। इस लिए हमारे व्यूरोक्रेट्स को भी कुछ डिफेंसर कोर्स दिया जाये, ताकि यूनियन टेरिटरी का सपज भी खत्म हो जाये, लेपिटनेट गवर्नर का नाम भी खत्म हो जाये। कुछ नया नाम रख दिया जाये। कभी कभी कोई नया नाम चल जाता है। अगर उसका नया नामकरण कर दिया गया, तो शायद अच्छा होगा। पुराने तर्जुमे से काफी गड़बड़ दिखाई देती है।

इन शब्दों के साथ मैं मिनिस्टर साहब को सुबारकवाद भी देता हूँ और इस बिल को सपोर्ट भी करता हूँ।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman Sir, I want to say at the outset that I support this Bill, and if it were really a Bill for a beginning to make Delhi and all other Union Territories fully democratic and representative, I would have said 'I welcome this Bill

warmly'. But because the Bill is only having a limited content and limited purpose, viz. to include Delhi in the list of Union Territories under Article 239-A, and it stops there, and does not tell us, at this stage, what the intentions of the Government are about that matter, I am not able to say that I support the Bill warmly and enthusiastically. But I consider that it is a good step, in the right direction. But I hope it does not stop there. And, because I said it was in the right direction, it does not mean that I need not go into the details. Now if you permit me, before I speak a few things about the Bill I should like to take up the last point of my friend Shri Kishore Lal when he complained with great sincerity at his command, I could see that, about the ineffectiveness of Parliament. My esteemed friend Shri Kamath immediately corrected him to say that instead of saying 'we are no longer having any useful purpose', let us say 'we are having less useful purpose'. Shri Kishore Lal was good enough to accept the amendment and he said all right we are having less useful purpose. It is true. On both the points that my friend, Shri Kishore Lal, has mentioned, quite often some of us, which includes many of us, of late increasingly are feeling a certain sense of frustration but not disillusionment about Parliament and Parliamentary institution and parliamentary working. I say 'no disillusionment' because we should not have wrong notions about Parliament and Parliamentary institutions. This Parliament institution and any Parliament, in a democratic set up, in a parliamentary set up has certain purposes. Parliament is a deliberating body. Parliament is a ventilating body. George Bernard Shaw once said in his inimitable Shawian way about parliament, by which he meant 'House of Commons', that all that Parliament is good, for is to ventilate grievances. That is all, he said. But even as a ventilating body, it is good to ventilate grievances in a dignified, democratic manner on the

floor of the House rather than settle those in the streets through violence. Therefore, that is of value. This Parliament has value in terms of making laws. But of course, I know that in terms of making laws, increasingly all over the world, Parliament has become a rubber stamp of the executive which controls the majority and, therefore, whatever the executive brings here, the Parliament willy nilly—I do not want to repeat what my friend Shri Hari Vishnu Kamath feels like saying so—'more nilly than willy' accepts and endorses what the Executive Government has brought in terms of law. Nonetheless Parliament functions with effectiveness as a legislative body, as a deliberative body, as a body where we can ventilate and express grievances. All these are important. Now, I would like to ask my friend Shri Kishore Lal, why is all this not becoming effective? The answer is also partly to be found out by directing the question to ourselves—how many of us as Members of Parliament or Members of the legislative body, take these bodies seriously and earnestly—How many of us are attending Parliament fully? How many of us are attending the day's work and the sittings of the committees fully? How many of us are prepared to give time and take interest in these matters, to proceed, to consolidate and go further? of course he said he has got experience of two years only. When he spends a couple of more years—I hope he will be re-elected, I would like him to be re-elected—in that case, he would find that he will have the occasion to revise his opinion which he is giving at the end of two years. He might at the end of six years say that it is not so useless or ineffective.

He mentioned about poor people becoming victims and truth becoming victim. Again, I would say, it is because people like him and I, more he than I, since he belongs to the Ruling Party, who work or do not work are responsible. In the name of party discipline and in the name

[Shri J. G. Mavalankar]

of obeying the majority, often times Members of Parliament, almost in a sleepy manner, I perhaps may not use that word, go on endorsing what the Minister and Government say. They have not the necessary courage to tell them both on the floor of the House and outside in party meetings and elsewhere, Mr. Minister, you will not take us for granted, although we are there with majority, you will please explain to us, convince us and then we will say what you are saying is right. Perhaps it all happens in all parties, not only in Janata Government. In fact it happened more in the Congress Party when it was the ruling party. It depends how as individual M.Ps. we take Parliament and its work, and with what effectiveness, with what earnestness and sincerity. It is true that truth is also a kind of casualty just as he said poor people have become casualty. May I ask, if Parliament were not there, and if there were some kind of an authoritarian regime, would my friend, Shri Kishore Lal say that it would ensure the security and welfare of poor people more? As a matter of fact, it is because of the parliament that many things which are ugly and wrong can be exposed fully, effectively and continuously on the floor of the House. Therefore, although apparently the money spent on Parliament looks to be more, if you spend that money and expose the false things and the lack of justice to the poor people, I think that that money is well spent. About truthfulness, it will only require more perseverance on our part to go on digging until we are able to search and get hold of the truth and then tell the Minister that this is the truth. So, I hope, he will not be unnecessarily pessimistic about these matters.

Coming to this Bill, I welcome this Bill only on this limited ground that it extends democratisation to areas and populations where democratisation processes are not available. But

I agree with all the four members from Delhi who spoke—Shri Malhotra, Shri Kanwar Lal Gupta, Shri Brahm Prakash and Shri Kishore Lal and even with Shri Faleiro who spoke about Goa, that as a matter of fact, all the people in all these territories have been denied their legitimate basic dues, namely, democratic rights. Why is it that I should get a full Assembly if I live in Gujarat but not a full Assembly if I live in Goa or Delhi? Whether I am in Delhi, Goa or Gujarat, I am an Indian citizen. If I am an Indian citizen, under what provision of the Constitution can the hon. Minister Sonusingji Patil tell us that “if you live in a particular area you will have 50 per cent dose of democratic rights; if you live in another area, you will have 75 per cent dose of democratic rights and if you live in another area you will have 100 per cent democratic rights?” He will have to explain it to us. Perhaps he will say, “I will explain it in the next Bill.” Let him explain it in the next Bill, but he will have to explain this. After all, he cannot take Indians to be citizens in a uniform way, but then distribute democratic rights in doses or in stages. Take Lakshadweep and Andaman and Nicobar. I have gone to the Andamans in 1976. From what I hear on the floor of the House and from what I read in the newspapers—and what my good friend, Shri Manoranjan Bhakta who comes from Andaman and Nicobar Islands says—that between 1976 and now, although three years have passed, not much progress has taken place in regard to the extension of democratic rights and representative character to the people of Andamans. What I heard directly from the people there in 1976. I am hearing the same kind of thing again now. There is hardly any progress. On the other hand, what is worse—and that is what my Delhi friends have already said—bureaucracy has been more entrenched, more strengthened, more hardened and more seasoned and therefore, to

that extent more irresponsible and unresponsive and adopting a 'could not care less' attitude. You may speak in Parliament. It may appear in the press or not. So many things have to appear in the press and therefore, so many things said here never appear in the press. Therefore, bureaucracy goes on merrily with its own ideas and its own things. There are many areas like Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Chandigarh, Goa, Mizoram, Arunachal Pradesh and now Delhi and many such places where elements of democracy are not available. But I would be wrong or incomplete if I do not mention along with this the fact that there are many states of our country where panchayat elections have not taken place for years. Let us not say that it is only happening in these Union territories. Even in those states—I do not want to mention their names—where there are full-fledged panchayat—village taluka, district—and of course, municipal administrations are available, there are many places where elections have not taken place for years together and our conscience does not seem to be awakened nor do we seem to be angered at this kind of negation or absence of democracy and representative character for our people. Therefore, I would take this occasion to point out that if we are to be honest about our Constitution—here is one founding father present—if we are loyal and devoted to the principles laid down by the founding fathers, namely, that India and Indian people deserve democracy, then we should strive constantly to ensure that India and Indian people will carry their experiment with democracy from one step to another step with greater progress and greater vigour. To do this, we must have faith in the people. It is no use saying that our people are poor, our people are illiterate; in democracy people should not be poor, in democracy people should not be illiterate. But because we are poor and illiterate, that is no argument why democracy cannot be extended to the

Indian people. In fact, democracy requires a certain faith, a certain persuasiveness, a certain tolerance and a certain spiritualism, and these are available in plenty and in abundance in our Indian people. So, I dare say that we are very much fit for democracy.

Many friends have pointed out again and again that this Union Territory arrangement came as a compromise. I am one of those who believe that compromise is essential in a democratic set up. After all, "give and take" is necessary. When the Constitution was made and, later on, in the initial stage of the development of democracy and republic, perhaps this compromise of Union Territory was necessary. But the Minister of State, Shri Patil, the Senior Minister, Shri H. M. Patel, Prime Minister Shri Morarji Desai and the Government will have to explain and convince us, not merely explain but convince us, as to why a certain compromise, which by the very nature of things and by the very definition of things which was necessary because of the particular situation or because of the particular circumstances, should continue now. In the 'fifties and' sixties those problems lingered. But in the 'eighties or nineties' in the remaining two decades of our century, we should go forward, rather than remaining stationary and go on looking backwards and say that because it has happened in the fifties, therefore, let us not change it. Therefore, while I am all in favour of compromise, I am not in favour of it for all times to come. Because they are compromises, they are valid for a certain period for a certain kind of the country's situation, and the moment that situation changes, the compromise must change. Therefore, the idea of Union Territory must be gone into very fully.

Lastly, a word about Delhi. I was in Delhi, not as a Member of Parliament, but as an occasional or rather

frequent visitor from 1946 to 1956, when my father was in Delhi and till his death in 1956 I had many Occasions to come and stay in Delhi for weeks and months. So, from 1946 to 1956 I was almost like a Delhi-walla. From 1956 to 1972, I used to visit Delhi for various meetings and conferences like the University Grants Commission meeting. From 1972 onwards I am in Parliament and so I am a Delhi-walla. So, I do not want the Members of Parliament who represent Delhi to think that they alone feel agitated, as they should, and we have no sense or feeling. We are equally agitated on this point. In fact, I consider myself emotionally a part of Delhi.

Therefore, I want to say that all though we are the capital of the country and Delhi has been an, ancient place, the old Hastinapur, the Purana Quila and the rest of it, what is happening here? Take the question of law and order, the day to day life of the people, that traffic problem, specially bus transport, the supply of milk and other commodities, housing, jhuggies and slums, if you take any of these things, you find there is hardly anything to commend. In fact, there is much to disapprove, criticise and condemn to our eternal shame. In fact, we all feel a sense of shame that this is happening in the capital city. Why is it happening? Because, as our friends from Delhi have pointed out, in Delhi we have a multiplicity of authorities, bureaucratisation and no sense of perspective planning for stable development.

Have you ever conceived in 1979 what is going to happen in Delhi by the end of the 20th century? Are we thinking that the whole country and the whole wide world including Delhi, will come to a standstill? Therefore, let us worry about 2,000 A.D. If we have to do this, who will do it? I want to suggest that this will only be possible if the people who live here, the Indians, not merely the Delhi-

wallas but the people who live here, through their elected representatives with their respective chambers with full-fledged powers, reflect their hopes and aspirations and not through the agency of the civil service. Here I am not minimising the importance of the civil service. In fact, no Government can function without a civil service. We want the civil service but we want the civil service to be functioning as servants, rather than masters. But what we find over a period of years in Delhi is we are too much bogged down with bureaucratisation with the result that even if good ideas are made and some good Ministers take them up, the notings on the files circumvent them in such a way that the Ministers come here and say "Mr. Mavalankar, you are right, but these are the difficulties". We know the difficulties which were pointed out by your Secretaries, but what have you done to overcome them? I would say that the Secretaries and other officials should be given a warning that while they bring out all the difficulties, bring out all the obstacles, the Ministers must have the power, the imagination, the intelligence, the capacity and the will to advise the Secretaries and the bureaucracy how they can overcome those difficulties so that those measures can be successfully put through. Otherwise, the bureaucracy is always tuned to finding out 5 problems and 5 obstacles and 5 reasons for why a thing cannot be done. A bureaucrat will only give you two reasons why it can be done.

SHRI A. C. GEORGE (Mukandapuram): Only one.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Well, my friend was a Minister at one time. So he knows more than I do. I have no such experience. As I am an independent, I would never have that experience. I am not sorry for that also. But he has experience as a Minister. He also says one. Then why is it happening? Because we lack that political will. If that is so, then it is only an argument for making Delhi

all the Union Territories have the maximum possible democratic rights and minimum possible bureaucratic obstacles. Bureaucracy—I repeat it because that word is misunderstood—is important and good, and in Delhi and India our Civil Service has done an excellent job, a splendid job but they become an object of criticism only when we, the politicians, the Ministers and administrators, fail to perform our duty in terms of exercising our own independent judgment and judiciousness about these matters. It is from this larger angle that I feel that this Bill is to be welcomed, but I only hope that the Minister will give us a promise, not only that we will reply to these points, but he will also give us an assurance that in times to come, and sooner than later, he will bring more Bills, if necessary, to get rid of many of these distortions and difficulties. Here in Delhi one sees almost a dangerous way of living for the people in Delhi, as nothing goes in Delhi according to law. Although this is the Capital of the whole country, everything is in disorder—traffic, but, transport, supply and all that. And I do not want to repeat those points, but people who are at the higher level in bureaucracy have their own facilities, cars and other things, whereas people at the lower level are suffering. This is because there is no one to take account from the higher level bureaucracy, and, only when you have a democratic set up, then you have an accountability and a responsibility and an answerability, and it is that what we want. And I hope this Bill is, only a beginning and that the Government will go in that direction as fast as it can and as judiciously and as effectively and as well as it can.

श्री श्रीव प्रकाश त्यागी (बहराइच):
 हम विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। मैं नमस्रता हूँ कि प्रजातंत्र की दिशा में यह एक अग्रगण्य कदम है। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि सरकार ने एक सिद्धान्त स्वीकार किया है और वह प्रजातंत्र का

सिद्धान्त है, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का सिद्धान्त है लेकिन उस सिद्धान्त को यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। आपने अशोक मेहता साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने पंचायती राज की दिशा में एक योजना बनाई और उसमें सिफारिश की कि जनता सरकार पंचायतों को भी अधिकार दे ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अपने गांवों व अपने जिलों के लिए योजनाएँ बना सकें और उनको क्रियात्मक रूप दे सकें। इसके लिए उनको धन आदि सब मिलने चाहिये। यह जो सिद्धान्त था इसको दिल्ली पर क्यों नहीं लागू किया गया है। मैं ज़हनना चाहता हूँ कि सत्ता के हस्तांतरण के मामले में क्या सरकार ने कोई माप दंड बनाया है? क्या उसने ऐसा कुछ तय किया है कि ऐसे क्षेत्रों को अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार दिया जाएगा कि वे अपने हितार्थ अपनी योजनाएँ बना सकें और उनको क्रियात्मक रूप दे सकें जिन की एक निश्चित जनसंख्या है या आर्थिक दृष्टि से वे क्षेत्र स्वावलम्बी है? मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा आधार है संघीय क्षेत्रों के लिए जिनको आपने लागू किया है या जो आपके दिमाग में आज भी है। मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि जिल राज्यों की चार चार और पांच पांच लाख की आबादी है उनके वास्ते आपने असेम्बली की व्यवस्था कर दी है। आमदनी के दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्वावलम्बी नहीं है, केन्द्र को उनकी आर्थिक सहायता करनी पड़ती है। दिल्ली आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्वावलम्बी है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी है, करीब 50 लाख आबादी दिल्ली की है और हर हाल इसका इतना ज्यादा विस्तार

हो रहा है कि कल्पना से बाहर की वस्तु है। इस समय 60 लाख के लगभग आबादी होमी और अभी तो इसका विस्तार हो रहा है क्योंकि सरकार विस्तार को रोकने की परिस्थिति में नहीं है। उसकी योजना के अनुसार एक बड़ी मास्टर प्लान बन रहा है इसलिये दिल्ली के लोगों के साथ यह अन्याय क्यों किया गया? दिल्ली की जनता की स्थिति यह है कि वह किससे पूछे? अगर उनको आर्थिक क्षेत्र कठिनाई आ रही है या प्रशासनिक दृष्टिकोण से कठिनाई आ रही है या बिजली, दूध और बसों के क्षेत्र में कठिनाई आ रही है तो किस से पूछें? मेट्रोपालिटन काउंसिल से या नगर निगम से? स्थिति यह है कि जो लोग इस दिल्ली का प्रशासन चला रहे हैं वह हैं आपके द्वारा नियुक्त आदमी। उनके ट्रांसफर, नियुक्ति करने का अधिकार मेट्रोपालिटन काउंसिल या नगर निगम को कुछ भी नहीं है। उनके हाथ में केवल यह है कि सड़कों को अच्छा बना दें और बगीचों को ठीक कैसे करें, कुछ स्कूल दे दिये हैं। इसके अलावा यहां की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार कोई यहां वह कानून नहीं बना सकते, योजनायें नहीं बना सकते, पुनों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कोई प्लान बनायें उसको मंजूर कराने के लिये आपकी प्रशासनिक अनुमति हो तो फिर केन्द्रीय सरकार स्वीकार करे। जो कानून बनाते हैं अपने हित के दृष्टिकोण से वह यहां केन्द्रीय सरकार में आते हैं और यहां उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हैं तो आप उस प्रान्त के चीफ मिनिस्टर की सलाह लेते हैं। लेकिन दिल्ली में

में भी हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस किस की सलाह से नियुक्त हो। तो नियंत्रण किस का रहा? आपका और एक कठिनाई नियंत्रण की दृष्टि से बताना चाहता हूँ और वह यह कि किसी शासन को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार के जिन मंत्रियों पर दायित्व है उनमें जो कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन होना चाहिये। लेकिन यहां कोआर्डिनेशन का सलाह ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अलग और अन्य मंत्रालय अलग अलग यूनियन टेरिटरी का काम तो ऐक्स्ट्रा है, वह तो कोआर्डिनेशन में नहीं आता है ट्रांसपोर्ट का मसला अलग, वित्त का मसला अलग। किसी भी पहलू के सम्बन्ध में मिल कर कभी भी विचार नहीं किया जाता है। यूनियन कैबिनेट में तो भारत-वर्ष की समस्याओं पर ही विचार करने के लिये आपके पास समय नहीं है, यूनियन टेरिटरी की समस्याओं पर भला आप कहा विचार कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी की क्या समस्यायें हैं यह स्थानीय प्रशासन करने वाले ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं बजाय आपके मैं समझता हूँ किम दृष्टिकोण से भी उनको यह शासन मिलना चाहिये। यहां दिल्ली की स्थिति क्या है, यहां डी० टी० सी० अलग है, डेसू अलग है, मिल्क स्कीम अलग है, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन उनके बारे में कानून के जरिये दिल्ली को कोई अधिकार नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह केन्द्रीय सरकार के हित में भी है कि दिल्ली को असेम्बली दें। दिल्ली की जनता के हित में यही है उनके भाग्य का निर्णय करने का अधिकार उनको दें। अगर यह नहीं देते हैं तो प्रजातंत्र की भावना के यह विरोध में हैं।

मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हित की दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली एक

प्रमुख स्थान है, दिल्ली में जो सिलसिला चलता है कि वह तमाम भारतवर्ष की जनता के लिये रास्ता बनता है। कभी यहां ला एंड आर्डर खराब हुआ तो लोग समझते हैं कि दिल्ली में यह हुआ तो सारे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। मैं पार्लियामेंट के बारे में भी इशारा करता हूँ कि हम जो आदर्श यहां पेश करते हैं, उसकी तरफ ही तमाम ही तमाम हिन्दुस्तान की जनता इशारा करती है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। ऊपर गैलरी में जो दर्शक आते हैं और हम लोग जो यहां कभी-कभी दृश्य उत्पन्न करते हैं सब्जी मंडी वाला, उसे देखकर वह जाते हैं तो हम पूछते हैं कि हम 5-5 और 7-7 लाख लोगों के प्रतिनिधि यहां यही काम करते हैं। हम दिल्ली प्रशासन में जो आदर्श पेश करेंगे उसे तमाम प्रान्तों की जनता यहां आकर देखेगी कि शासन कैसा चलता है। यह तभी संभव है जब कि हम प्रदेश के प्रांतों के लोगों को अपने हित के कानून बनाने का अधिकार दें और उन लोगों को दें जो कि उनकी समस्याओं को जानते हैं। आज यहां के जो मिनिस्टर हैं उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि क्या करें, वह वोटों की चिन्ता करते हैं। यहां जितने पोलिटिकल आदमी हैं, पार्टीज हैं उनमें बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो अपनी आत्मा की आवाज पर खुलकर बोलें। सब पार्टी स्तर पर सोचते हैं सब यह सोचते हैं कि अगर किसी के विरुद्ध बोलेंगे तो चुनाव में क्या होगा, कुर्सी हाथ से निकल जायेगी। जो कुछ भी करते हैं कुर्सी और पार्टी का ख्याल कर के करते हैं। देश का हित बहुत दूर चला गया है। सब सोचते हैं, कि पैरा हित, मैरी पार्टी का हित, चुनाव में कैसे आयेगे, यही सोचने का रूब रहता है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक हो, दिल्ली के लोको को चीजें सही और सस्ती मिलें, यहां की उन्नति हो, जनता के हित को ध्यान में रखकर अच्छी योजनाएं बनें यह सब करने के लिये क्या किया जा रहा है। अगर यह चीजें नहीं होती तो दिल्ली की जनता सुरक्षित कैसे हो। कारपोरेशन के या मेट्रोपोलिटन काउंसिल के सदस्य कोई बात कहें तो वह कहेंगे कि हमें तो कुछ करने का अधिकार ही नहीं है। अधिकारियों को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, हमें क्षमा करें। यह तो केन्द्रीय सरकार से जो मंत्री बने बैठे हैं, वह कहीं और से चुनकर आ रहे हैं, यहां के वोटर्स का उन पर कोई प्रभाव नहीं है इसलिये ऐसे लोगों के हाथों में अधिकार दें जिनका जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। जब 5 साल के बाद वह जनता के बीच में जायेंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि बताइये हमारी दूध की सप्लाय का क्या इंतजाम किया, ला एंड आर्डर के बारे में क्या किया, दूध के लिये मुबह दो घंटे खड़े रहते हैं, बसों के लिये घंटों लाइन लाइन लगी रहती है आपने क्या किया तो वह कह देंगे कि चांद राम जी से पूछिये। इससे जनता की तसल्ली नहीं होती है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति दिल्ली में बनी हुई है

मैं सन् 1938-39 से दिल्ली में ही निवास करता हूँ। जब कांग्रेस आये तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से दिल्ली में एक विशेष प्रकार का प्रशासन प्रारम्भ किया, वह बात भ्रमलग है अब हमारी केन्द्रीय सरकार है वह सारे भारतवर्ष के लिये केन्द्रीय कानून बनाये जो कि भारतवर्ष में लागू हों। प्रदेशों की सरकारों को अपने हित के कानून बनाने का अधिकार अधिक से अधिक दिया जाना:

चाहिये ताकि वह हर दिशा में अपनी उन्नति कर सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बेकार का शंका क्यों बोल लेते हैं, यहां शगड़ा होता है, रिपोर्ट होती है, अभी कल परसों यहा क्या हुआ कि नकली शराब पीकर 50 आदमी मर गये। उसके लिए पार्लियामेंट में कार्रिंग एटेंशन नोटस आता है। अगर कोई डकैती पड़े, तो यहां पर श्री पाटिल या श्री एच० एम० पटल जवाब देने के लिए खड़े होते है वे क्यों जवाब देने है। दिल्ली का प्रशासन कहा गया? दिल्ली का प्रशासन बिल्कुल कामन जेडर है। उसके हाथ में बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में कैसे काम चलेगा? मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन को कुछ शक्ति तो प्रदान की है। लेकिन यह आवश्यक है कि उमं आर्थिक याजनायें बनाने और उन्हें क्रियात्मक रूप देने का अधिकार हो, अपने यहां रेवेन्यू को खर्च करने का अधिकार हो, अपने आफिमर्ज की नियुक्ति और ट्रास्फर आदि का अधिकार हो।

इम समय दिल्ली में डी० डी० ए०, डी० टी० सी० और डी० एम० एम० आदि अलग अलग संस्थायें बनी हुई है— दुनिया भर का खटराग बना हुआ है। उन सब को दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत क्यों न रखा जाये, ताकि उनका काम ठीक ढंग से चले? लोगों को बिजली तभी ठीक तरह से मिल सकेगी, जबकि बेंसू दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत होगा। अगर दिल्ली एसेम्बली को पूरा दर्जा दिया जाता, तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन जो कुछ भी दिया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मंत्री महोदय को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

SHRI A. C. GEORGE (Mukandapuram): Mr. Chairman, Sir, we are discussing the administrative set-up of the future perspective of the capital of India or the territory which is including the capital of India.

It is widely claimed that Delhi is one of the most beautiful capital cities in the world. History is very clear. It is a city or a capital founded by the Pandavas or, may be, subsequently built by the Mughals but now strangled by the bureaucracy. They have field to kill it because of the inherent and intrinsic vitality of the people of this area.

One day, a friend of mine asked me, looking at the topography of India, the map of India, "What is the particular reason for locating Delhi as the capital of this country?". I said, "I can only think of one valid good reason and that is because it is surrounded by the Punjabis who are basically the builders." They built the city or around or the suburbz—I am not confining my self to the capital city alone. Here is one of the best creative ability. But for quite a long time, in spite of this being the capital of India for 30 years, the development of this territory has been going round and round in concentric circles. I literally mean concentric circles because when we think of it, there is the administration of the New Delhi Municipal Committee, the outer circle of the Delhi Municipal Corporation, the outer circle of the Delhi territory and still things are so managed that they will go round and round. Quite often, I have thought of Delhi as the empire of the Home Ministry of the Government of India. But, in effect, the Viceroy, a fact which is not known to many Members of Parliament, is the Works and Housing Minister. In fact, the brunt of the criticism is against the Home Ministry. The Viceroy is really the Work and Housing

Minister. Through so many administrative set-ups, through so many authorities, through so many committees, the virtual administration, the *de facto* administration, is in the hands of the Works and Housing Minister.

AN HON. MEMBER: The Emperor Sikandar!

SHRI A. C. GEORGE: Yes, but he had run back: I did not want him to run back.

Now, the fact remains that this beautiful city, which has got great and immense potentialities is every day getting a bad name for mal-administration. I am not going to speak at length. I will put forward only one simple suggestion. If only there is co-ordination between the Home Minister, the Administration of Delhi, the Works and Housing Minister and the Minister of Transport and Shipping, then you can implement the project of an efficient public transportation system.

It is forgotten that Delhi is the capital of the ninth biggest industrial country in this world. Let us not always call ourselves a developing country or an under-developed country. We are the second biggest country in the world, and the eighth or ninth biggest industrial country in the world. But still, our transportation system is a classic example of the colossal failure of administration. When my good friend Shri Mavalankar was speaking, he said that the bureaucracy has got the aptitude and the intrinsic ability to find out five reasons how it cannot be implemented, they may perhaps suggest one reason why it should be implemented. He had actually said two reasons, but I have made an amendment and said one reason. I have said it, knowing that the bureaucracy is an institution which can read the mind of the administration or the politicians. If they are convinced that here is an administration or a Minister who is really out to get things done, they will find out

five reasons how it can be done and point out just one pit-fall or one reason why we should be cautious. I am not here to blame the bureaucracy outright, because the bureaucracy is moulded by the political thinking and philosophy in this country. It so happens that we have the best mettle and the best material in the bureaucracy. I believe our Administrators are selected, by and large, in an impartial way and merit is given a preponderant preference over other things. But still, within a few years, some of our bright officers fall into the rut and they know how to write notings which will be according to the line of thought of the Minister. This is how we mould the bureaucracy in a negative manner. The bureaucracy in Delhi is a classic example of negative thinking.

First and foremost I have the greatest sympathy for the Home Minister who is piloting the Bill because I am convinced that this time it will not be passed. God must help him if he is to get it through in this session. Perhaps if he makes an added effort, he will be able to carry it forward to the next Session. That is how I read the mood of the Parliament today.

Anyway, I have a feeling that at least for three or four months, he is going to be the 'Emperor' of Delhi. Let the Home Minister, with the help of the Transportation Ministry, evolve a good transportation system for this capital city where lakhs and lakhs of people come. We have great admiration for its over-all beauty; let us have a public transportation system which will be not only efficient but ideal also. Delhi is a city of the middle-class. Delhi is a city or territory of the lower middle-class or salaried people and that is why I am again repeating about the public transportation system.

Our public transportation system has a great advantage now. It is holding a record as one which is causing the biggest number of deaths: it is the biggest killer in this country.

[Shri A. C. George]

We were able to eradicate small-pox which was at one time a big killer, we were able to curb cholera and we were able to handle plague. But still, in Delhi we are not able to curb or handle the public transportation system which is the biggest killer in this country. Accidents are galore. So I am suggesting for this Ministry that there should be a comprehensive plan as to how the whole problem can be solved.

Now, the Finance Ministry was trying, for quite a long time, through the voluntary disclosure scheme—or whatever you may call it—to bring out black-money. You and I know that. Of course the Finance Minister may bring statistics tomorrow, but I can also bring statistics for six years. The fact remain that black-money is still very much in prevalence and that is why I am emboldened to make a suggestion that, in regard to Delhi and other major towns and capital cities of the country, let there be original thinking on the part of the Government of India that if middle-class houses can be constructed by people even with unaccounted money, with a proper limitation on the space of the building—say two or three room tenements—they will take a decision to look the other way provided the rent is fixed according to stipulation. This may be one method of not only getting out the black money but solving the acute housing shortage.

When I was speaking about the Viceroy, my good friend, Mr. Sikandar Bakht, was not here. Now he has come back.

Let the Works and Housing Ministry, the Finance Ministry and the Home Ministry jointly think of one novel method. I would not say that it is absolutely novel. At least in three countries in the world, they have attempted to get out the money which was hidden from the income-tax people for creative purposes. At least in Delhi, Bombay, Calcutta and

Madras if the unaccounted money can be siphoned off to build houses for the middle-class people, it will be more effective than the so-called voluntary disclosures.

Here is a city where more than half of the income of a salaried employee quite often has to be paid as rent. We, the Members of Parliament, may not be aware of the high rent prevalent in this city. Perhaps, some of us may be aware of it only as persons collecting it. I would suggest this. Let there be an organized attempt to build houses in this territory. When I speak about Delhi, I must say that this is a territory with 55 lakhs of people. It is, perhaps, bigger than 40 countries represented in the United Nations. Out of 139 members of the United Nations—Mr. Kamath knows very well . . .

SHRI HARI VISHNU KAMATH:
150 members now.

SHRI A. C. GEORGE: . . . at least 40 countries who are members of the United Nations do not have as much population as the territory of Delhi has. So, it is an important territory. There are other Union territories also like this. I am thinking particularly about Pondicherry. Pondicherry has a population more than that of at least 30 countries in the United Nations. Of course, I do not want to question their *bona fides*. But there are some people who believe that this Bill has been brought forward simply because it so happens that the particular Party which is in power in the Centre is also in power in Delhi. Whatever may be the reason—let me not question their *bona fides* or the merits of this—I would say that this step has to be extended to other territories also like Pondicherry.

Here I would like to say one thing. In a federal set-up, the over-concentration of powers in Delhi is causing discrepancies in the administration. I may not explain to you further. There

is a Bill on the anvil which, in effect, is one of the most undemocratic steps we can ever think of. West Bengal has a population of more than 50 million people. Kerala has a population of 25 million people. In this country we can call ourselves as one of the best in arithmetic because we multiply fast. West Bengal has a population of about five crores and Kerala 2.5 crores. The people in these two States, apart from other people in this country, have a set view on certain things. In these two States, all the political parties, whether in power or in opposition, have a different view about the fast undertaken by the great old man, Acharya Vinoba Bhave. I can understand the anguish and anxiety of Delhi to see that Acharya Vinoba Bhave ended his fast as quickly as possible. For that, the short cut that was found was to say that they would have a Constitution Amendment Bill. It is a move against the clearly expressed will and opinion of the people. When the different political parties, whether in opposition or in power, in Kerala and West Bengal did not accede to the demand, he resorted to a national black-mail, if I may call it so. We have the great tradition of respecting age. That is why, quite often we respect even senility. I do not want to mince words. The only moral strength for the action taken by Acharya Vinoba Bhave was his age.

We traditionally respect age, and we do not want to speak anything against old people. Therefore, when a very old man took the very foolish step which was worse than a national black-mail, because of his age we did not say anything against. Now I will put it the other way. Suppose, the same step had been taken by a 30-year old young man. Would you have conceded that demand? It was just the respect for the age which is traditionally inherent in the minds of the Indian people otherwise, it had no moral strength and no sensible person will go on fast unto death for a reason like this. Ours is a federal structure where administrative powers

are clearly demarcated. Why should there be a fast against the opinion of the people of West Bengal? I strongly oppose any move further by the Centre or by the ruling party to circumvent the opinion or to circumvent the decisions and aspirations of the line of thinking of different States.

15 hrs.

Ours is a big country and Delhi is two thousand miles away from the extreme end of South India. It is not quite necessary that people should think alike. When a sensible administration is thinking about the future programmes while sitting in Delhi they must take into consideration that there are different lines of thinking and different cultural backgrounds and different economic and political realities. Therefore, when you are thinking of this Constitution amendment may I warn, "don't try to bring any amendment which will reduce the powers of the State and which will try to circumvent the true decision of the State."

I conclude by saying that the Delhi administration with new changes that are coming will improve. I welcome this Bill. We are not discussing the problems of six MPs. Some of the outstanding parliamentarians happen to be from this territory. After all it is an enlightened territory of the country. (*Interruptions*)

What I am suggesting is: Let there be an administration in this capital of the country wherein we need not hold our heads in shame about the bad public transport, horrible conditions of housing and fleecing by the middleman where lower middle-class and salaried classes find it impossible to buy things and make both ends meet especially after the budget of Chaudhuri Charan Singh. Prices have risen not by one per cent but by hundred per cent. I welcome this Bill and, incidentally, I wish the Home Minister all success. I do not know whether he will be able to get this Bill passed. If he is not able to

[Shri A. C. George]

get it passed in this Session at least he should get it passed in the next session.

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Ghazipur): Mr. Chairman, Sir, at this stage I seek your permission to move a motion under Rule 109. I beg to move:

"That the debate on the Constitution (Forty-Seventh Amendment) Bill, 1978 be adjourned".

Now, I read Rule 109:

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker."

Sir, apart from this there is another provision in our Rules of Procedure, viz., Rule 340. It says:

"At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned."

Sir, I am not required to give all the details. I seek your permission to move the motion under the above-mentioned rules. (*Interruptions*)

SHRI A. C. GEORGE: You should take it very seriously. May I know why you are taking it so lightly?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND LABOUR
(SHRI RAVINDRA VARMA): It is because we are taking the Bill seriously that we feel that the objective would be served if we postpone the discussion at this point of time.

श्रीमन्ति अहिंस्य पी० राजनकर
(बम्बई उत्तर-मध्य) : एक ही रीजन
दिखाई पड़ता है कि यहाँ उतने वोट नहीं हैं
जितने कि आवश्यक हैं। इस बिल के लिये
वो तिहाई मेजरिटी चाहिए जो कि नहीं है
इसलिए उन्होंने यह बात उठयी है।

SHRI A. C. GEORGE: Unless there is a clear-cut reply from the Parliamentary Affairs Minister, you need not do it. The House cannot be taken so lightly.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

15.06 hrs.

SHRI RAVINDRA VARMA: Mr. Deputy Speaker, Sir, my hon. friend has moved the motion that the debate on the Bill be adjourned. Nobody is contesting his right to move the motion under the Rules of Procedure.

It is because we feel that the objective behind the Bill can be better served by adjourning the debate at this point of time that we support it.

SHRI A. C. GEORGE: It is an insinuation that my speech was not good.

SHRI RAVINDRA VARMA: Not at all. If your speech was not good we would have interrupted your speech and moved it.

SHRI A. C. GEORGE: How do you say, standard of debate was not good?

SHRI RAVINDRA VARMA: I never said that. I only said that the objective of the Bill can be better served by postponing the debate at this point of time. That is all. I have not said anything about the standard of the debate.

MR. DEPUTY SPEAKER: So, there is this motion for postponement. Till what time?

SHRI RAVINDRA VARMA: We will give it in the Agenda later.

AN HON. MEMBER: Have you given your consent?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I suppose I give the consent, considering the situation in the House.

SHRI A. C. GEORGE: As a custodian of the privileges of the House...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, your remarks are very dangerous!

SHRI A. C. GEORGE: We are fully with you in the present situation; I can fully understand the position; they have put you in an embarrassing situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I fully understand the situation.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Only one point on which I need an assurance from the Minister for Parliamentary Affairs. Would he give a solemn assurance that this Bill will get top priority in the next session?

SHRI RAVINDRA VARMA: I give a solemn assurance that this Bill will be given topmost priority not in the next session but in this session itself.

MR. DEPUTY SPEAKER: All right. I will put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That the debate on the Constitution (Forty-Seventh Amendment) Bill, 1978 be adjourned."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The motion is adopted. Now we move on to the next item.

15.00 hrs.

IN THE STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move*

"That the Bill to regulate the employment of inter-state migrant workmen and to provide for their conditions of service and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Sir, as the House is aware, Dadan labour is recruited from various parts of the State through contractors or agents called Sardars/Khatadars for work outside the State in large construction projects. Though at the time of recruitment the Sardars promise that wages calculated on piece-rate basis would be settled every month, the promise is not usually kept. Once the worker comes into the clutches of the contractor, he is taken to a far-off place on payment of railway fare only. No working hours are fixed for these workers, and they have to work on all the days in a week under extremely bad, severe working conditions. The provisions of the various labour laws are hardly honoured and they are subjected to various malpractices. The fact that these workers are employed in far-off places, which escape the eye and attention of the public, the press, and even workers' organizations, makes it all the more necessary for us to ensure adequate legislative protection.

Following a recommendation of the Twenty-eighth Session of the Labour Ministers' Conference, which was held at New Delhi on the 26th of October, 1976, the Ministry of Labour set up a small compact Committee to study the entire question, and to suggest measures for eliminating the abuses prevalent in the system. The compact Committee recommended the enactment of a separate central legislation to regulate the employment of the inter-State migrant workmen.

*Moved with the recommendation of the President.